सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख, 1938 (श०)

संख्या 472 राँची, बुधवार,

4 मई, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2016

1. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-22/गो0, दिनांक- 05 जनवरी, 2013
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1270, दिनांक 08 फरवरी, 2013; संकल्प संख्या-3683, दिनांक-02 मई, 2013; पत्रांक-5302, दिनांक-19 जून, 2013; पत्रांक-5566, दिनांक- 23 जून, 2015 एवं पत्रांक-10761, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015
3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1417/रा0, दिनांक- 29 अप्रैल, 2013
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-54, दिनांक-23 जनवरी, 2015
5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-712, दिनांक 08 मार्च, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-387/2014 का०- 3237--श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 645/03, गृह जिला- राँची) के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यावधि से संबंधित आरोप

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-22/गो0, दिनांक-05 जनवरी, 2013 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-'क' में श्री नायक के विरूद्ध निम्नवत् आरोप हैं:-

आरोप सं0-1- मौजा पाण्ड्रा, खाता सं0-229, प्लाॅट सं0-364, रकबा-27 डिसमिल भूमि का अर्जन होना था, जबकि इसके विरूद्ध 27 ¾ डिसमिल का भुगतान किया गया है। प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत साहवादी शेख पिता-नेमानत शेख थे, जिनकी पुत्री अलगुनी बीबी द्वारा उक्त भूमि निबंधित दस्तावेज सं0-20264, दिनांक-27 मार्च, 1980 तथा 13251, दिनांक-12 दिसम्बर, 1983 द्वारा हबीब काजी, पिता-नूर मोहम्मद काजी को बिक्री किया गया। परंतु हबीब काजी को केवल 1¾ डिसमिल भूमि का भुगतान किया गया है। उपलब्ध कागजात से यह भी विदित होता है कि मौजा पाण्ड्रा, खाता सं0-229, प्लॉट सं0-364, रकबा-32 डिसमिल तथाकथित रूप से सादा दानपत्र के आधार पर साहबादी शेख, पिता-नेयामत शेख से काली नापित, पिता-दलु नापित को प्राप्त होने के आधार पर उनके उत्तराधिकारी श्री सुनील नापित और पिता विश्वनाथ नापित, पिता-नकुल नापित को 01 डि0 भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है, जबकि उसके लिए सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कोई जमाबंदी कायम नहीं है। राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक-26 नवम्बर, 2010 को बगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से साजिश पूर्वक निर्गत लगान रसीद सं0-JB/47-2980585 के आधार पर उन्हें रैयती मान्यता देते हुए अनियमित रूप से उनके नाम से शिड्यूल तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी है। कागजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्लॉट उक्त सादा दानपत्र के आधार पर श्री सुनील भंडारी, पिता-स्व0 नकुल भंडारी के द्वारा दिनांक-20 जून, 2008, 23 जून, 2008, 08 जुलाई, 2008, 22 जुलाई, 2008 तथा 25 जुलाई, 2008 को कार्यान्वित कुल-20 दस्तावेजों के आधार पर कुल 25 लोगों के बीच 25 डि0 का शिड्यूल तैयार किया गया। इस प्रकार कुल 27 ¾ डि0 का जमीन का शिड्यूल आरोपित कर्मी द्वारा तैयार किया गया, जो भूमि के वास्तविक रकबा से अधिक है। शिड्यूल के अवलोकन से विदित होता है कि श्री सचित कुमार, पिता-श्री नन्दकिशोर प्रसाद के नाम से एक ही दस्तावेज के आधार पर निहितार्थ भाव से दो शिड्यूल तैयार किया गया, जो शिड्यूल के पृ0 45 एवं 46 पर द्रष्टव्य है। हबीब काजी के द्वारा धारित दस्तावेज को सही मानकर उन्हें केवल 1¾ डि0 के लिए मुआवजा की भुगतान की कार्रवाई की गयी। दूसरी ओर कालीपद नापित को तथाकथित रूप से प्राप्त सादा दानपत्र को सही मानकर उनके वंशजों को तथा दो पौत्र में से एक ही पौत्र द्वारा संपादित बिक्रीनामा को सही मानकर 25 अन्य लोगों को क्षतिपूर्त्ति के भुगतान की कार्रवाई की गयी, जो परस्पर विरोधाभासी एवं निहितार्थ भाव से किया गया कृत्य है।

आरोप सं0-2- अपर समाहर्त्ता, धनबाद के नेतृत्व में गठित जाँच-दल के प्रतिवेदन से विदित होता है कि मौजा-पाण्ड्रा, मौजा नं0-95, खाता सं0-181, प्लॉट सं0-961, रकबा-97 डि0 में से अर्जित रकबा 42 डि0 भूमि के लिए दस्तावेज सं0-25097, दिनांक-06 अक्टूबर, 1970 द्वारा श्री महादेव चन्द्र बल, पिता-नकरी बल से क्रय करने के आधार पर श्री धीरेन महतो, पिता-मदन महतो को मुआवजा का भुगतान किया गया है। नकल खतियान से विदित होता है कि उक्त भूमि का खतियानी रैयत सदानन्द तिवारी हैं। श्री जान मुहम्मद का दावा है कि उक्त भूमि खतियानी रैयत से दस्तावेज सं0-1278, दिनांक-13 फरवरी, 1953 द्वारा श्री सुधीर चन्द्र डे एवं अन्य द्वारा क्रय किया गया था।

दस्तावेज सं0-3272, दिनांक-09 फरवरी, 1972 द्वारा खतियानी रैयत के क्रेता से कुल 97 डि0 भूमि सुबोध डे एवं वासंती बाला द्वारा खरीदी गयी, जिन्होंने क्रमशः दस्तावेज सं0-5167, दिनांक-17 अगस्त, 1985 द्वारा 48½, दस्तावेज सं0-5166, दिनांक-17 अगस्त, 1985 द्वारा 48**1/2**, जान मुहम्मद को बिक्री किया। उक्त भूमि के लिए जान मुहम्मद के नाम से जमाबंदी नं0-1901 में अद्यतन लगान रसीद निर्गत है। उनके दावा को नजरअंदाज कर साजिशपूर्वक तैयार दस्तावेज एवं खाता सं0-62 के लिए निर्गत लगान रसीद में जालसाजीपूर्वक खाता सं0-181 अंकित कर प्रस्तुत किये गये लगान रसीद के आधार पर शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया। साथ ही, भुगतान हेतु अभिश्रव तैयार कर किया गया। इतना ही नहीं, शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान में पूर्व में अंकित सदानंद तिवारी के नाम को व्हाईटनर से मिटाकर श्री धीरेन महतो का नाम दर्ज किया गया है। व्हाईटनर से मिटाने के फलस्वरूप श्री तिवारी का नाम गौर करने से पढ़ा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गलत भुगतान की बात प्रकाश में आने पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा श्री धीरेन महतो को राशि वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। इसके विरूद्ध उनके द्वारा 1,96,000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमा किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि इसमें अनियमित रूप से भुगतान की कार्रवाई निहितार्थ भाव से की गयी थी।

आरोप सं0-3- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-341, प्लॉट नं0-1506 कुल रकबा-71 डि0 अर्जित रकबा-05 डि0 भूमि के लिये माह-अप्रैल, 2008 से माह-अगस्त, 2008 तक श्री सुनील भंडारी, पिता-स्व0 नकुल नापित द्वारा कार्यान्वित दस्तावेज के आधार पर सर्वश्री अशोक भंडारी, बादल चन्द्र गोस्वामी, दिनेश मालाकार, ब्रह्मदेव चैरसिया एवं श्रीमती छाया भंडारी प्रत्येक को 01 डि0 भूमि के लिये शिड्यूल तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी है। आरोप सं0-1 से स्पष्ट है कि विक्रेता सुनील भंडारी के एक भाई का नाम श्री विश्वनाथ नापित है, परंतु किस परिस्थिति में एक ही भाई के द्वारा उक्त भूमि की बिक्री की गयी? इसका बगैर छानबीन किये तथा सक्षम पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम नहीं रहने जैसे महत्त्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए शिड्यूल तैयार किया गया है। शिड्यूल के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाद में उक्त शिड्यूल से संबंधित भूमि पर शेख मोहम्मद जामिल, शेख रियाजुद्दीन, शेख मो0 आरिफ तथा शेख मो0 मुजामिन का नाम मकान के दखलकार के रूप में दर्ज कर मकान के एवज में मुआवजे का भुगतान कराया गया है। रैयत के नाम एवं तथाकथित मकान के दखलकार का नाम साजिशपूर्वक बाद में दूसरे स्याही से अंकित कर अनियमित रूप से मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं0-4- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-708, प्लॉट सं0-1220, कुल रकबा-27 डि0 भूमि अर्जित की गयी है। नकल खतियान के अनुसार उक्त भूमि गोविन्द नारायण सिंह के नाम से दर्ज है। गोविन्द नारायण सिंह के दो पुत्र देव नारायण सिंह थे। श्री राम नारायण सिंह के नाबालिग रहने की स्थिति में देव नारायण सिंह ने उक्त भूमि सतीश चंद्र घोष को बिक्री किया, जिसके नाम से जमाबंदी सं0-1154 में लगान की वसूली हो रही है। सतीश चंद्र घोष के निधन के उपरांत उनके पुत्र शशांक शेखर घोष ने दस्तावेज सं0-9703, दिनांक-07 दिसम्बर, 2004 के द्वारा अबुल बसर को जमीन बिक्री की गयी। अबुल बसर द्वारा उक्त भूमि में से 25 डि0 भूमि वर्ष 2008 में 14 व्यक्तियों को बिक्री किया गया। शिड्यूल में मो0 अबुल बसर द्वारा कार्यान्वित दस्तावेज के अनुसार अबुल मतीन एवं अन्य के नाम से

15 डि0, मो0 तलहा के नाम से 01 डि0, अंजरूल आम के नाम से 01 डि0, शेख नूर आलम के नाम से 05 डि0 कुल-22 डि0 के लिए शिड्यूल तैयार किया गया। शिड्यूल के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्लॉट की भूमि के लिए श्री खाईरूल बसर के नाम से 02 डि0, खाईरूल बसर द्वारा बिक्री किये जाने के आधार पर शेख रोताज, शेख नून हुसैन एवं शेख नईम के नाम से प्रत्येक के लिए 01 डि0 का शिड्यूल तैयार किया गया। शिड्यूल के अवलोकन से विदित होता है कि इन सभी व्यक्तियों के नाम को पेंसिल से घेरकर एवं क्रास कर गलत रूप से श्री पूर्णन्दु विकास तिवारी उर्फ सोमन तिवारी का नाम श्री राम नारायण सिंह द्वारा तथाकथित कार्यान्वित दस्तावेज सं0-6373, दिनांक-13 अगस्त, 1945 के आधार पर दर्ज कर दिया गया तथा मूल्यांकन खतियान भी उनके नाम से तैयार किया गया। इससे स्पष्ट है कि मनमानीपूर्ण तैयार शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान को नजरअंदाज कर निहितार्थ भाव से मुआवजा का भुगतान किया गया।

आरोप सं0-5- मो0 अबुल बसर को आरोप सं0-04 में वर्णित दस्तावेज द्वारा खाता सं0-708, प्लॉट सं0-1187, रकबा-44 डि0 भूमि भी प्राप्त है। अबुल बसर द्वारा दस्तावेज सं0-8977, दिनांक-26 जुलाई, 2008 द्वारा आनन्दमय कुंभकार एवं अन्य तीन को 04 डि0 भूमि बिक्री किया गया। दस्तावेज सं0-8976, दिनांक-26 जुलाई, 2008 द्वारा सुब्रत पाल एवं अन्य चार व्यक्तियों को 05 डि0 तथा दस्तावेज सं0-8979, दि0-26 जुलाई, 2008 द्वारा आनंद कुमार एवं अन्य चार व्यक्तियों को 05 डि0 कुल 14 डिसमिल भूमि की बिक्री की गयी। सभी क्रेताओं के नाम 14 डि0 के लिए शिड्यूल तैयार किया गया। परंतु इन लोगों के नाम से मूल्यांकन खतियान में केवल 04 डि0 का तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी। 09 डि0 भूमि के लिए शिड्यूल में बगैर सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त किये श्री पूर्णेन्दु विकास तिवारी का नाम दर्ज कर उसके लिए मूल्यांकन एवं अभिश्रव तैयार कर भुगतान की गयी एवं 01 डि0 भूमि के लिए मृणाल भंडारी का नाम श्री उत्तम तिवारी से दस्तावेज सं0-4059, दि0-07 अप्रैल, 2008 द्वारा क्रय करने के आधार पर शिड्यूल में दर्ज कर मूल्यांकन खतियान तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि मनमर्जी तरीके से विरोधाभासी दस्तावेज के आधार पर इच्छानुसार रैयतों के नाम जमीन का रकबा अंकित करते हुए शिड्यूल तैयार किया गया और सुविधानुसार उसमें हेराफेरी कर भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-6- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-176, प्लॉट सं0-964, कुल रकबा-64 डि0 में से 22 डि0 भूमि अर्जित की गयी है। उक्त भूमि खतियान में श्री वास घोष एवं अन्य के नाम से दर्ज है। उक्त प्लॉट की पूर्ण भूमि दस्तावेज सं0-1873, दि0-13.03.1943 द्वारा खतियानी रैयत से श्री सतीश चन्द्र घोष, पिता-बंक बिहारी घोष द्वारा क्रय की गयी। श्री सतीश चन्द्र घोष के पुत्र श्री शशांक शेखर घोष द्वारा दस्तावेज सं0-9703, दि0-07 अप्रैल, 2004 द्वारा उक्त संपूर्ण भूमि मो0 अबुल बसर को बिक्री किया गया है। मो0 अबुल बसर ने वर्ष 2008 में अर्जित भूमि 22 डि0 भूमि श्री रामेश्वर कुमार एवं अन्य दस व्यक्तियों को बिक्री किया गया, परंतु संबंधित व्यक्तियों के नाम से केवल 11 डि0 भूमि के लिए शिड्यूल तैयार किया गया। शेष 11 डि0 भूमि के लिए श्री उज्ज्वल घोष द्वारा माह-जुलाई 2008 में तथाकथित रूप से कार्यान्वित दस्तावेज के आधार पर 14 व्यक्तियों के नाम से शिड्यूल तैयार किया गया।

शिड्यूल के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-04 अगस्त, 2008 को मो0 अबुल बसर द्वारा श्री कुन्दन कुमार एवं श्री अजय कान्त कुमार, पिता- महेश मण्डल को दस्तावेज संख्या-9683 से जमीन बिक्री की गयी है, जबकि श्री उज्ज्वल घोष द्वारा माह जुलाई 2008 में कार्यान्वित दस्तावेजों की संख्या 12525, 12529, 12531, 12532, 12534, 12535, 12536, 13601, 13602, 13594, 13596 आदि है। इससे स्पष्ट है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज छद्म है, क्योंकि निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों की संख्या आरोही क्रमांक से दी जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्व में निबंधित दस्तावेजों की संख्या बाद में निबंधित दस्तावेजों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। दस्तावेज संख्या-12536, दिनांक-22 सितम्बर, 2008 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त दस्तावेज तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्र संख्या-822, दिनांक-22 सितम्बर, 2008 द्वारा संबंधित भूमि को भू-अर्जन क्षेत्र से बाहर रहने संबंधी प्रमाण-पत्र के आधार पर निबंधित किया गया और निबंधन के उपरांत उक्त दस्तावेज के आधार पर शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी है। दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक-04.09.2008 को भू-अर्जन की अधिसूचना होने के उपरांत उक्त प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है तथा निबंधन की कार्रवाई भी उसके बाद हुई है। परंतु इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करके सभी कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-7- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-724, प्लॉट सं0-1499, कुल रकबा-16 डि0 अर्जित रकबा 12 डि0 से संबंधित नकल खतियान को देखने से स्पष्ट है कि इसके खतियानी रैयत कमदार शेखू, पिता-पिया शेख थे। मो0 शईद शेख द्वारा खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी हाने के आधार पर अर्जित भूमि के लिए मुआवजा का दावा किया जा रहा है, जबकि आरोपित कर्मचारी द्वारा श्री उत्तम तिवारी द्वारा माह-अगस्त, 2008 में कार्यान्वित 14 दस्तावेजों के आधार पर 16 व्यक्तियों के नाम से शिड्यूल तैयार किया गया है। इसके आधार पर मूल्यांकन खतियान एवं अभिश्रव तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार खतियानी रैयत के अधिकार के संबंध में बगैर जाँच किये निहितार्थ भाव से शिड्यूल मूल्यांकन खतियान, अभिश्रव आदि तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-8- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-185, प्लॉट सं0-1283, कुल रकबा 19 डि0 अर्जित रकबा 08 डि0 से संबंधित नकल खतियान के देखने से स्पष्ट होता है कि इसके खतियानी रैयत साधू चरण मजुमदार दी0 हैं। दस्तावेज सं0-16933, दिनांक-22 दिसम्बर, 1938 से खतियानी रैयतों द्वारा शिशुवाला दासी, पिता- राय रवानी को बिक्री किया गया। इस दस्तावेज के आधार पर श्री विमल रवानी, पिता-स्व0 विजय रवानी को मुआवजा भुगतान किया गया है। शिड्यूल के अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व में अंकित किसी व्यक्ति के नाम को व्हाईटनर से मिटाकर श्री विमल रवानी का नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मूल्यांकन खतियान में भी पूर्व में अंकित किसी व्यक्ति के नाम को व्हाईटनर से मिटाकर श्री विमल रवानी का नाम अंकित कर भुगतान की कार्रवाई की गयी है। उक्त संशोधन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही अभिलेख अथवा पंजी से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती शिशुवाला दासी से श्री विमल रवानी का क्या संबंध है और वास्तविक रूप से वे उसके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। संबंधित दस्तावेज अथवा इससे संबंधित अन्य कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, जिससे

संदेहास्पद स्थिति बनती है। इससे विदित होता है कि शिड्यूल एवं मूल्यांकन पंजी में हेराफेरी कर मूल्यांकन हेतु अभिश्रव तैयार किया गया। स्पष्ट रूप से इसमें अनियमितता बरती गयी है।

आरोप सं0-9- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-69, प्लॉट सं0-1532, रकबा-43 डि0 अर्जित रकबा 25 डि0 के लिए शिड्यूल आरोपित कर्मी द्वारा तैयार किया गया है। 02 डि0 के लिए नेहार शेख के नाम से शिड्यूल तथा मूल्यांकन तैयार किया गया था जिसे व्हाईटनर से मिटा दिया गया है। इसके लिए न तो कोई आदेश उपलब्ध और न ही उसे किसी पदाधिकारी से सत्यापित ही कराया गया है। शेष 23 डि0 भूमि के लिए श्रीमती रहमत जान बीबी, अमीरूद्दीन एवं जलेब शेख द्वारा अलग-अलग विभिन्न लोगों के नाम से कार्यान्वित 18 दस्तावेजों के आधार पर 18 व्यक्तियों के नाम से शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया है। वंशावली में श्रीमती रहमत जान बीबी का नाम अंकित नहीं है परंतु उनके द्वारा किस आधार पर उक्त भूमि की बिक्री की गयी। इसकी बिना जाँच किये शिड्यूल तैयार किया गया। इससे संबंधित उपलब्ध दस्तावेज सं0-3769, दिनांक-02 अप्रैल, 2008 के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उक्त बिक्री पत्र प्लॉट सं0-1529 एवं 1506 रकबा 06 डि0 के लिए कार्यान्वित है, जिसमें प्लॉट सं0-1529 पर प्लॉट सं0-1532 अंकित किया गया है, जबकि शब्दों में पंद्रह सौ उनतीस एवं पंद्रह सौ छः अंकित है। उक्त दस्तावेज के विरूद्ध श्री शंकर भण्डारी को 06 डि0 भूमि के एवज में भुगतान किया गया है। इस तरह की त्रुटि अन्य दस्तावेजों में भी हो सकती है परंतु उक्त दस्तावेज न तो अभिलेख में पाया गया और न ही उसे अलग से उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार इस साजिशपूर्ण कार्रवाई में जिला भू-अर्जन कार्यालय की संलिप्तता प्रतीत होती है।

आरोप सं0-10- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-333, प्लॉट सं0-136 रकबा-08 डि0 का अर्जन किया गया है। श्रीमती सीमा देवी पति- रोहन रवानी एवं श्री भोलानाथ रवानी द्वारा आपत्ति की गयी है कि उन्हें उक्त भूमि क्रमशः दस्तावेज सं0-4153 एवं 4164, दि0-09 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रत्येक को 02 डि0 भूमि प्राप्त है जबकि उन्हें 01-01 डि0 भूमि का ही मुआवजा मिला है। शिड्यूल के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक आपत्तिकर्त्ताओं के नाम से 02 डि0 भूमि दर्शाया गया है जिसे बाद में बगैर किसी आदेश के काट कर 01 डि0 अंकित किया है। इनके हिस्से की 02 डि0 भूमि का मुआवजा श्री संजय भंडारी एवं श्री अमित भंडारी को भुगतान किया गया है इस प्रकार मनमानीपूर्ण शिड्यूल मूल्यांकन तथा अभिश्रव तैयार कर अनियमित रूप से भुगतान की कार्रवाई हुई।

आरोप सं0-11- श्री उदय शंकर दास एवं कालीपद दास द्वारा मौजा पाण्ड्रा के खाता सं0-07 प्लॉट सं0-1195 रकबा-34 डि0 पर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी होने के नाते मुआवजा का दावा किया जा रहा है, जबकि दस्तावेज सं0-6732, दिनांक-11 दिसम्बर, 1938 के आधार पर शिवदास घोष, पिता-स्व0 निवास घोष के नाम शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान के अवलोकन से विदित होता है कि श्री शिवदास घोष का नाम पूर्व से अंकित किसी व्यक्ति के नाम को बगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से व्हाईटनर से मिटाकर अंकित किया गया है। जाँच-प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि निबंधन कार्यालय पुरूलिया द्वारा प्रणव दास के नाम से निर्गत पत्र सं0-640, दिनांक-20 जून, 2012 से विदित होता है कि दस्तावेज सं0-6732 जाली है। इस प्रकार मनमानीपूर्वक शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया तथा उसका सत्यापन किया गया। साथ ही, इन तथ्यों से अवगत रहते हुए भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-12- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-62, प्लॉट सं0-116 अर्जित रकबा 09 डि0 के संबंध में शिड्यूल के अवलोकन से विदित होता है कि किसी एक व्यक्ति के नाम 03 डि0 के लिए तथा आपत्तिकर्त्ता श्रीमती गुलु बीबी के नाम से 06 डि0 के लिए शिड्यूल तैयार किया गया। 03 डि0 भूमि के लिए पूर्व से अंकित रैयत के नाम को मिटाकर भरत पटवार का नाम अंकित किया गया है तथा श्रीमती गुलु बीबी के नाम को घेर कर राखोहरी मिस्त्री द्वारा कार्यान्वित दस्तावेज सं0-11353, दिनांक-14 अक्टूबर, 1945 के आधार पर मिलन महतो का नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार की हेराफेरी मूल्यांकन खतियान में भी की गयी है, जबकि इसके लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं है। इस हेराफेरी को नजरअंदाज करते हुए भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-13- तैयार शिड्यूल के आधार पर मौजा-पाण्ड्रा, खाता सं0-18, प्लॉट सं0-1556 अर्जित रकबा 02 डि0 के लिए धारा-9 के तहत् हाजी अब्दुल रहमान के नाम को नोटिस निर्गत किया गया था। हाजी अब्दुल रहमान के नाम से मूल्यांकन खतियान भी तैयार किया गया। बाद में शिड्यूल पंजी में हाजी अब्दूल रहमान के नाम को मिटाकर श्री सीतल रवानी एवं पितल रवानी, पिता-शेर बहादुर रवानी का नाम अंकित कर दिया गया, जबकि इसके लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का कोई आदेश नहीं था और न ही शिड्यूल में श्री सीतल रवानी का नाम अंकित करने का कोई आधार ही दर्ज किया गया है। इस हेराफेरी को अनदेखी कर भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-14- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-583, प्लॉट सं0-1274, कुल रकबा 1.48 एकड़ अर्जित रकबा 1.08 एकड़ भूमि अर्जित किया गया। श्रीमती सुषमा घोष, पति-स्व0 अरूण प्रकाश घोष के नाम से 77 डि0 एवं तिलक आर्या एवं पुलक आर्या, पिता-गुरूपद आर्या के नाम से 31 डि0 के लिए शिड्यूल तैयार किया गया। संबंधित रैयतों को धारा-9 के तहत् नोटिस भी निर्गत किया गया था। उक्त दोनों व्यक्ति के नाम को घेर कर श्री आनन्द महतो, पिता-स्व0 हरि महतो का नाम अंकित कर दर्शाया गया कि श्री शम्भू नाथ भट्टाचार्य से दस्तावेज सं0-6933, दिनांक-22 दिसम्बर, 1938 द्वारा खरीदी गयी भूमि है। उक्त हेराफेरी के आधार पर मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया तथा अभिश्रव तैयार कराकर भुगतान करायी गयी। जाँचोपरांत दस्तावेज सं0-6933, दि0-22 दिसम्बर, 1938 फर्जी पाया गया, जिसके लिए श्री आनन्द महतो के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है।

आरोप सं0-15- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-235, प्लॉट सं0-1217 एवं 1200 में क्रमशः अर्जित रकबा-5¼ (तथा 11 डि0 भूमि के लिए खतियानी रैयत नकड़ी बल, पिता-रामू बल के नाम से शिड्यूल तैयार किया गया। इसके लिए मूल्यांकन खतियान एवं अभिश्रव तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी। खतियानी रैयत के 60 वर्ष पूर्व निधन हो जाने के संबंध में परिवाद-पत्र प्राप्त है। शिड्यूल पृष्ठ सं0-68 में आरोपित कर्मचारी द्वारा काजी मोहम्मद अनीस के नाम से खाता सं0-19, प्लॉट सं0-962 के लिए तैयार शिड्यूल में संबंधित भूमि रैयत को दस्तावेज सं0-3335, दि0-02 मई, 1979 द्वारा प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेज के विक्रेता के नाम में श्री महादेव चन्द्र बल, पिता-स्व0 नकड़ी बल अंकित है, जिससे प्रमाणित होता है कि साजिशपूर्वक शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया तथा समुचित पहचान-पत्र आदि नहीं प्राप्त कर छद्म व्यक्ति को मुआवजा का भुगतान किया गया।

आरोप सं0-16- मौजा-पाण्ड्रा, थाना नं0-95, खाता सं0-590, प्लॉट नं0-1263 एवं 1267 रकबा क्रमशः 36 एवं 09 डि0 भूमि के खतियानी रैयत के वारिशान श्री पटल राय एवं अन्य को अभिलेख सं0-08/07-08 से मुआवजा प्राप्ति हेतु सूचना निर्गत किये जाने एवं दावा कागजात प्रस्तुत करने के बावजूद भी उन्हें अर्जित 45 डि0 भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं कर निराधार कागजात के अलावे अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के पश्चात् निबंधित कराये गये दस्तावेज सं0-2641, दि0-13 सितम्बर, 2008, 9908, दि0-07 अगस्त, 2008 एवं 1199, दि0-07 फरवरी, 2009 के क्रेताओं को मुआवजा का भुगतान किया गया। यह भी तथ्य प्रकाश में आयी है कि दि0-14 जुलाई, 2008 को अधिसूचना एवं अधिघोषणा के निर्गत होने के उपरांत साजिशपूर्वक कार्यान्वित दस्तावेजों के आधार पर शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-17- मौजा-पाण्ड्रा, मौजा सं0-95 के खाता सं0-342, प्लॉट सं0-122 खतियानी रकबा-55 डि0 के विरूद्ध अर्जित रकबा 24 डि0 के लिए दस्तावेज सं0-11434, दि0-22 अप्रैल, 1972 के आधार पर फटिक चन्द्र सेन एवं अन्य तीन को मुआवजा का भुगतान किया गया है, जबकि उक्त दस्तावेज मात्र 21 डि0 का ही है। प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त भूमि श्री भगवती अग्रवाल द्वारा प्रश्नगत भूमि की 34 डि0 दस्तावेज सं0-9637, दि0-11जून, 1958 द्वारा क्रय करने का दावा किया जा रहा है। इस प्रकार, इस मामले में जानबूझकर की गयी अनियमितता बरती गयी।

आरोप सं0-18- श्री निर्मल माजी द्वारा मौजा-मुगमा, थाना सं0-69, खाता सं0-10, प्लॉट सं0-124, 126 एवं 127 रकबा क्रमशः 16 डि0, 06 डि0 एवं 1.54 एकड़ कुल रकबा 1.76 एकड़ भूमि उनकी निबंधित दस्तावेज सं0-303 एवं 304, दिनांक-08 जनवरी, 1962 द्वारा क्रय की गयी भूमि है। संबंधित भूमि के लिए दाखिल-खारिज स्वीकृति के उपरांत जमाबंदी सं0-378 एवं 380 में लगान की वसूली होती है, परंतु उक्त भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान उन्हें नहीं कर सुधांशु शेखर मंडल के क्रेताओं को किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि श्री सुधांशु शेखर मंडल द्वारा कुछ दस्तावेजों में संबंधित भूमि निबंधन कार्यालय पुरूलिया के दस्तावेज सं0-11026, दि0-29 दिसम्बर, 1938 द्वारा क्रय भूमि बताकर बिक्री किया गया है तथा कुछ दस्तावेजों में दस्तावेज सं0-11026 दि0-29 दिसम्बर, 1938 को निबंधन कार्यालय, धनबाद में निबंधित अंकित किया गया है। इस प्रकार गलत तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा 125 कार्यान्वित दस्तावेज के आधार पर क्रेताओं के नाम शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर भुगतान करायी गयी है। यह भी स्पष्ट है कि इनमें से कई दस्तावेज संबंधित भूमि के अर्जन हेतु दि0-14 फरवरी, 2009 को निर्गत अधिसूचना की तिथि के बाद का निबंधित है। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि गलत कागजात के आधार पर भू-अर्जन अभिलेख तैयार कर अनियमित भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-19- मौजा-पाण्ड्रा, मौजा सं0-95 के खाता सं0-590, प्लॉट सं0-1263, रकबा-½ डि0 का मुआवजा दस्तावेज सं0-1199, दि0-17 फरवरी, 2009 के आधार पर एवार्डी सं0-744 को किया गया है जबकि प्रश्नगत दस्तावेज मौजा-रंगडीह, थाना सं0-94 के खाता सं0-15, प्लॉट सं0-33, रकबा-01 डि0 भूमि से संबंधित है।

उक्त दस्तावेज अधिसूचना एवं अधिघोषणा निर्गत होने की तिथि के बाद का भी है। इससे स्पष्ट है कि अनियमित दस्तावेज के आधार पर शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर मुआवजा के भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-20- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-80, प्लॉट सं0-1196 रकबा-04 डि0 भूमि दस्तावेज सं0-10560, दि0-20 अगस्त, 2008 द्वारा श्रीमती रामधनी विष्टु से श्री भरत चन्द्र विष्टु एवं तपन चन्द्र विष्टु द्वारा क्रय की गयी भूमि है। जाँच में पाया गया कि दोनों क्रेताओं के नाम 02 डि0 भूमि के लिए अन्य 10 व्यक्तियों के नाम से बिना किसी आधार के शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर मुआवजा का अनियमित भुगतान किया गया।

आरोप सं0-21- मौजा-महताडीह, थाना सं0-71, खाता सं0-17, प्लॉट सं0-35 रकबा-15 डि0 भूमि के लिए अधिसूचना एवं अधिघोषणा प्रकाशन के पश्चात् जानबूझकर मुआवजा प्राप्त करने एवं आर0आर0 पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने में साजिशन सहयोग करते हुए दि0-04 अगस्त, 2008 से दि0-19 अगस्त, 2008 के बीच कुल ग्यारह दस्तावेज सं0-9676, 9683, 9824, 10067, 10068, 10069, 10136, 10138, 10529, 10530 एवं 10533 के आधार पर बगैर दाखिल-खारिज स्वीकृत हुए एवं लगान रसीद निर्गत हुए पंचाट सं0-211 से 221 तक कुल 11 डि0 भूमि के लिए शिड्यूल एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर एवं जाँच कर गलत रूप से भुगतान किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-1270, दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा श्री नायक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परंतु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अतः विभागीय संकल्प संख्या-3683, दिनांक-02 मई, 2013 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

इसी क्रम में, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1417/रा0, दिनांक-29 अप्रैल, 2013 द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं, जिसके आधार पर विभाग स्तर से पूरक आरोप पत्र गठित किया गया। पूरक आरोप पत्र में अंकित आरोप का विवरण निम्नवत् है-

पूरक आरोप- उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 1417/रा0 दिनांक 29 अप्रैल, 2013 द्वारा उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक- 131/गो0 दिनांक 24 जनवरी, 2013 का उल्लेख करते हुए सूचित किया गया है कि उपायुक्त, धनबाद के कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 3293/गो0 दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 द्वारा आपको कार्य मुक्त करते हुए अपना प्रभार श्री कुँज बिहारी पाण्डेय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धनबाद को सौंपने का आदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया और मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित हो गये। आपके द्वारा समय-समय पर अवकाश के विस्तार हेतु आवेदन भेजा जाता रहा, जिसे उपायुक्त, धनबाद द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0-4592/रा0 दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्री उदय कांत पाठक को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धनबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए जिला भू-अर्जन पदा0, धनबाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। श्री पाठक द्वारा पत्र सं0-133 दिनांक

21 जनवरी, 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके अनुपस्थिति तथा आपके द्वारा पूर्व के आदेश के आलोक में तत्का0 भू0सु0 उपसमाहर्त्ता, धनबाद को प्रभार नहीं सौंपने के कारण जिला भू-अर्जन पदा0, धनबाद का प्रभार प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फलतः कार्यहित को ध्यान में रखते हुए श्री पाठक को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का प्रभार स्वतः ग्रहण करने का आदेश उपायुक्त, धनबाद द्वारा दिया गया जिसके अनुपालन में श्री पाठक द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवलेहना की गई है एवं आप कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। आपका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

विभागीय पत्रांक-5302, दिनांक-19 जून, 2013 द्वारा उक्त पूरक आरोप-पत्र को संचालन पदाधिकारी को भेजते हुए इसे भी श्री नायक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-54, दिनांक-23 जनवरी, 2015 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री नायक द्वारा समर्पित बचाव-बयान का सार निम्नवत् है-

आरोप सं0-1 पर बचाव-बयान- मौजा पाण्ड्रा, खाता सं0-229, प्लॉट सं0-364, रकबा-27 डि0 भूमि के विरूद्ध 26¾ डिसमिल भूमि का ही अधिग्रहण एवं भुगतान किया गया था। 27¾ डि0 भूमि के अर्जन का आरोप आधारहीन है। प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत साहवादी शेख पिता-नेमानत शेख थे, जिनके द्वारा काली नापित, पिता-ढालु नापित को सादा दानपत्र(मुस्लिम कानून में वैध) के आधार पर उक्त भूमिखण्ड अंतरित कर दी गयी थी। यह भी स्पष्ट करना है कि मौजा पाण्ड्रा, खाता सं0-229, प्लॉट सं0-364 में कुल रकबा-27 डि0 ही था और प्रश्नगत भूमि सं॰ संबंधित दानपत्र में 32 डि0 भूमि अंकित थी। जमाबंदी भी 25 डि0 भूमि के लिए ही संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा कायम की गयी थी। वास्तविकता का ज्ञान होने पर काली नापित के उत्तराधिकारी सुनील नापित ने मात्र 25 डि0 का ही दावा कर मुआवजा राशि प्राप्त किया था। दान प्राप्तकर्त्ता के उत्तराधिकारी श्री सुनील नापित एवं विश्वनाथ नापित, पिता-नकुल नापित को 01 डि0 भूमि का मुआवजा भुगतान किया गया था। प्रश्नगत शेष भूमि पर 1¾ डि0 को खतियानी रैयत साहवादी शेख पिता-नेमानत शेख की पुत्री अलगुनी बीबी द्वारा उक्त भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या-20264, दि0-27 मार्च, 1980 तथा दस्तावेज सं0-13251, दि0-12 दिसम्बर, 1983 द्वारा हबीब काजी, पिता-नूर मोहम्मद, काजी को बिक्री किया गया था। क्रेता हबीब काजी को मात्र 1¾ डि0 भूमि का ही मुआवजा भुगतान किया गया था। उत्तराधिकारी के दूसरे पौत्र द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी थी। जहाँ तक जमाबंदी का प्रश्न है, उसे अंचलाधिकारी को देखना चाहिए कि जमाबंदी कैसे कायम हुई। अगर कोई आपत्ति प्राप्त होती तो उस जमाबंदी की निश्चित रूप से जाँच की गयी होती। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मो0 हबीब काजी, पिता-नूर मोहम्मद काजी ने शपथ-पत्र सं0-36, दि0-05 नवम्बर, 2012 द्वारा अपनी आपत्ति को वापस भी ले लिया था। आरोपी पदा0 का दावा है कि उनके द्वारा प्रसंगाधीन भूखण्ड के पूर्ण रकबा 27 डि0 में से सिर्फ 26¾ डि0 भूमि का ही अधिग्रहण एवं भुगतान किया गया था। संचित कुमार का नाम दो जगह भू-अनुसूची में अंकित हो गया था।

आरोप सं0-2 पर बचाव-बयान- भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना एवं अधिघोषणा स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसमें यह निर्देश रहता है कि यदि कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से एक माह के अंदर अपनी आपत्ति दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत जो भी आपत्ति प्राप्त हुई थी, उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए पंचाट घोषित कर प्रभावित रैयतों को indemnity bond लेकर मुआवजा भुगतान किया गया है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भू-अर्जन प्रक्रिया पूर्ण करने के पूर्व प्रश्नगत भूमि से संबंधित भू-अनुसूची तैयार किया जाता है। तत्पश्चात् भू-अर्जन हेतु स्थल -निरीक्षण किया जाता है। स्थल-निरीक्षण के समय जो भी आपत्ति प्राप्त होती है, उन आपत्तियों का निराकरण करने हेतु आपत्तिकर्त्ता से भूमि संबंधित दस्तावेज की माँग की जाती है एंव इसके भौतिक सत्यापनोपरांत आपत्तिकर्त्ता का दावा सही प्रतीत होने पर उसका नाम भू-अनुसूची में अंकित कर दिया जाता है। इसी क्रम में प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत सदानन्द तिवारी के नाम के स्थान पर श्री धीरेन महतो का नाम दर्ज कर उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। जहाँ तक भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान में व्हाईट्नर से सदानन्द तिवारी का नाम हटाकर श्री धीरेन महतो का नाम दर्ज करने का प्रश्न है, यह गलत था। व्हाईट्नर का प्रयोग न कर मात्र क्रॉस कर देना चाहिए था। इस कृत्य के लिए अमीन ने अपनी गलती स्वीकार की थी। प्रश्नगत भूमि से संबंधित जॉन मोहम्मद की जो आपत्ति थी, वह पंचाट घोषित होने के छः माह के बाद की थी। आरोपी पदाधिकारी का पुनः कहना है कि भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1)iii के अंतर्गत स्थल जाँच के क्रम में श्री धीरेन महतो द्वारा जमीन के कागजात प्रस्तुत किये गये थे एवं इनके दावे के विरूद्ध मुआवजा भुगतान तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। अतः पंचाटित राशि का भुगतान उन्हें किया जाना था। भुगतान के पश्चात् जान मोहम्मद की आपत्ति प्राप्त हुई थी। जाँच के क्रम में उनकी आपत्ति सही प्रतीत हुई थी। जान मोहम्मद का दावा सही प्रतीत होने के कारण पंचाटी श्री धीरेन महतो को नोटिस निर्गत कर अविलम्ब राशि जमा करने का आदेश दिया गया था। धीरेन महतो ने राशि वापस करने हेतु समय की माँग की थी। स्पष्ट है कि मुआवजा राशि भुगतान में अनियमितता नहीं बरती गयी है।

आरोप सं0-3 पर बचाव-बयान- सुनील भंडारी के एक भाई का नाम श्री विश्वनाथ नापित है। प्रतिवादी द्वारा संपूर्ण रकबा का कागजात जमा नहीं किये जाने के कारण छानबीन नहीं की जा सकी थी। साथ ही, प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किया गया, जिससे रसीद की जमाबंदी के संबंध में जाँच नहीं की जा सकी। खतियानी रैयत के वंशज द्वारा बिक्री संबंधी दलील(विक्रय पत्र) के आधार पर ही indemnity bond लेकर भुगतान किया गया था। शेख मोहम्मद जमील, शेख रियाजुद्दीन, शेख मोहम्मद आरिफ तथा शेख मोहम्मद मुजामीन को मकान का भुगतान अमीन एवं कानूनगो द्वारा स्थल जाँच करने के बाद दखलकार के रूप में नाम दर्ज कर लिया गया है। मेरे द्वारा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उप धारा-(1)(iii) के अंतर्गत संबंधित भूमि/मकान में प्राप्त हक/दावा की जानकारी तथा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-30 के अंतर्गत पंचाटियों के बीच पंचाटित राशि का संविभाजन कर पंचाट घोषित किया गया है, जो न्याय सम्मत है।

आरोप सं0-4 एवं 5 पर बचाव-बयान- खतियान के आधार पर भू-अनुसूची तैयार की जाती है। तत्पश्चात् स्थल निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार भू-अनुसूची में संशोधन कर मूल्यांकन खतियान तैयार किया जाता है। ग्राम पाण्ड्रा के खाता सं0-707 के प्लॉट-1220 का रकबा 0.27 डि0 एवं 1187 का रकबा 0.44 डि0 कुल 0.71 डि0 है। उक्त भूमि के खतियानी रैयत श्री गोविन्द नारायण सिंह के नाम से भू-अनुसूची बना है। श्री गोविन्द नारायण सिंह के

दो पुत्र श्री देव नारायण सिंह एवं राम नारायण सिंह थे पर नकल खतियान में श्री राम नारायण सिंह का दावा होने का उल्लेख नहीं था। संभवतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति पर ही श्री राम नारायण सिंह ने अपने हिस्से की भूमि को पूर्णेन्दु विकास तिवारी के पिता श्री उपेन्द्र नारायण तिवारी को बिक्री की थी, जिसका दस्तावेज सं0-6373, दि0-13 अगस्त, 1945 था। उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी लगान रसीद संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत की गयी थी। स्थल निरीक्षण के समय प्रश्नगत भूमि से संबंधित दस्तावेज, केवाला एवं लगान रसीद प्राप्त होने के पश्चात् भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त भू-अनुसूची में संशोधित करते हुए मूल्यांकन खतियान तैयार हुआ है। मूल्यांकन खतियान के अनुमोदनोपरांत प्रश्नगत भूमि के प्रभावित रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान हुआ है।

आरोप सं0-6 पर बचाव-बयान- स्थल निरीक्षण के समय रैयतों द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित समर्पित दस्तावेजों के भौतिक सत्यापनोपरांत ही भू-अनुसूची में उनका नाम दर्ज कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है। सभी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद ही संबंधित दावेदारों के दावे के आधार पर क्रमशः 10 एवं 14 व्यक्तियों का नाम भू-अर्जन अनुसूची में दर्ज कर उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। जाँच-प्रतिवेदन में उल्लेख है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में एक दस्तावेज गलत था। पर कौन सा दस्तावेज गलत था, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इसकी जाँच सक्षम न्यायालय ही कर सकता है और गलत दस्तावेज के आधार पर भुगतान पाये व्यक्ति से पूरी राशि वसूल सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार धारा-4 के बाद का निबंधन, जो सही है, का मुआवजा भुगतान किया जा सकता है। जिला भू-अर्जन कार्यालय के पत्रांक-822, दि0-22 सितम्बर, 2008 द्वारा भू-अर्जन से मुक्त होने से संबंधित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में कहना है कि प्लॉट सं0-964 के कुल रकबा-64 डि0 में से मात्र 22 डि0 का ही अर्जन किया जा रहा था, इस स्थिति में शेष 42 डि0 भूमि के भू-अर्जन प्रक्रिया से बाहर होने का प्रमाण निर्गत करना गलत नहीं था।

आरोप सं0-7 पर बचाव-बयान- प्रश्नगत भूमि के अर्जन हेतु तैयार नकल खतियान को आधार मानकर स्थल निरीक्षण किया जाता है। स्थल निरीक्षण के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के भौतिक सत्यापनोपरांत दावेदारों का मूल खतियानी रैयत का नाम हटाकर उनके स्थान पर डीड धारक का नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसी प्रावधान के तहत् प्रश्नगत अर्जित भूमि से संबंधित उत्तम तिवारी द्वारा जो दस्तावेज समर्पित किया गया था, उसके आधार पर 16 व्यक्तियों का नाम भू-अनुसूची में अंकित कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। जहाँ तक मूल खतियान रैयत के दावेदारी का प्रश्न है, वह आपत्ति पंचाट घोषित होने के छः माह बाद का है। चूँकि सभी रैयतों से indemnity bond लिखा कर ले लिया गया था, इसलिए मुआवजा प्राप्त करने वाले 16 पंचाटियों की राशि को वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। इस प्रकार मुआवजा भुगतान हेतु की गयी कार्रवाई भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।

आरोप सं0-8 पर बचाव-बयान- मूल्यांकन एवं पंचाट घोषित करने के पूर्व भू-अर्जन से प्रभावित रैयतों को भू-अर्जन अधिनियम की धारा-9 के तहत् नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति समर्पित करने को कहा गया था। निर्धारित समय तक शिशुवाला दासी पिता-राय रवानी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। श्री विमल रवानी द्वारा दलील प्रस्तुत किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किया गया। सभी रैयतों से indemnity bond लिखाकर लिया

गया था एवं मामला प्रकाश में आते ही राशि वापसी हेतु नोटिस किया गया। अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है।

आरोप सं0-9 पर बचाव-बयान- भू-अर्जन प्रावधानों के अनुसार रैयतों का नाम चढ़ाया गया था एवं रैयतों से प्राप्त indemnity bond में उल्लिखित शर्तो के अनुसार उन्हें नोटिस देकर भुगतान की गयी राशि वापस जमा करवा ली गयी थी। अतः लगाये गये आरोप निराधार हैं।

आरोप सं0-10 पर बचाव-बयान- वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत अर्जित भूमि के खाता सं0-333, प्लॉट सं0-136, कुल रकबा मात्र 0.8 डि0 है तथा उक्त भूमि के खतियानी रैयत प्रयश रवानी, पिता-सहदेव रवानी हैं एवं दर रैयत वानेश्वर नापित है। स्थल निरीक्षण के समय डीड होल्डर श्रीमती सीमा देवी एवं अन्य द्वारा समर्पित दस्तावेजों के भौतिक सत्यापनोपरांत भू-अनुसूची में उनके नाम पर 0.2 डि0 भूमि अंकित की गयी है। मूल खतियान में श्री वानेश्वर नापित दर रैयत हैं और वर्तमान समय में दर रैयत के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इस फैसले के अनुपालन के क्रम में ही प्रश्नगत खाता के प्लॉट सं0-136 के कुल रकबा 0.8 में से 0.2 डि0 भूमि दर रैयत के वंशज क्रमशः श्री संजय भंडारी एवं श्री अमित भंडारी के नाम दर्ज कर उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है।

आरोप सं0-11 पर बचाव-बयान- खाता सं0-07 प्लॉट सं0-1195 रकबा-34 डि0 के उत्तराधिकारी का दावा करने वाले ने पंचाटित राशि भुगतान होने की तिथि तक आपत्ति नहीं की थी। मामला प्रकाश में आने के बाद निपटारा हेतु पत्र सं0-343, दि0-21 मई, 2012 द्वारा सक्षम न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। साथ ही, यह कहना कि दि0-11 दिसम्बर, 1938 के दस्तावेज सं0-6732 को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के जाली साबित करना आरोपी पदा0 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मुआवजा प्राप्त करने वाले रैयत से इस आशय का indemnity bond ले लिया गया है कि भुगतान गलत पाये जाने पर अथवा विवाद उत्पन्न होने पर ली गयी राशि वापस कर दी जायेगी। आपत्ति प्राप्त होने पर पत्रांक-343, दि0-21 मई, 2012 द्वारा सक्षम न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है।

आरोप सं0-12 पर बचाव-बयान- प्रश्नगत भूमि के स्थल निरीक्षण के दौरान मात्र भरत पटवार एवं राखे हरि मिस्त्री ने दस्तावेज प्रस्तुत किया था। श्रीमती गुल्लू बीबी ने अर्जित रकबा से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। भू-अनुसूची में जिन व्यक्तियों का नाम पूर्व से अंकित था। उनका नाम हटाकर/घेरकर इनके स्थान पर दस्तावेज समर्पित करने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज कर उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। भू-अर्जन अधिनियम के सुसंगत नियम के तहत् ही कार्रवाई की गयी थी। साथ ही, चूँकि स्वयं आरोपी पदा0 ही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी थे। अतः उन्हें किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

आरोप सं0-13 पर बचाव-बयान- स्थल निरीक्षण के समय प्राप्त दस्तावेज के आधार पर हाजी अब्दुल रहमान के नाम से मूल्यांकन खतियान बना है। भू-अर्जन अधिनियम की धारा-9 के प्रावधानों के तहत् हाजी अब्दुल रहमान ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। जाँच के क्रम में यह प्रकाश में आया कि श्री शीतल रवानी एवं पीतल रवानी, पिता-शेर बहादुर रवानी खतियानी रैयत के वंशज हैं और इनके द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित लगान रसीद भी समर्पित किया गया था। अतः इन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। चूँकि आरोपी

पदा0 स्वयं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी थे, इसलिए उन्हें किसी अन्य पदाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। स्थल निरीक्षण में प्राप्त दस्तावेज के आधार पर सुधार किया गया है। व्हाईटनर का प्रयोग संबंधित अमीन की नासमझी से हुआ है। इस कृत्य में कोई गलत मंशा नहीं थी।

आरोप सं0-14 पर बचाव-बयान- मूल्यांकन एवं पंचाट घोषित करते समय आरोपकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया था। चूँकि भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1)(iii) के अंतर्गत स्थल जाँच के क्रम में आनंद महतो, पिता-स्व0 हरि महतो ने दस्तावेज एवं मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया था और किसी अन्य ने दावा प्रस्तुत नहीं किया था अतः श्री आनंद महतो को मुआवजा भुगतान किया गया था। विवाद उत्पन्न होने पर अंचल अधिकारी के पत्रांक-403, दिनांक-15 जून, 2011 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विवादित भूमि की जमाबंदी श्री हरि महतो के नाम से चल रही थी तथा लगान रसीद सं0-2980604, दि0 10 जनवरी, 2011 हरि महतो के नाम से निर्गत की गयी थी। आरोपकर्त्ता के दावे के पश्चात् मामला भू-अर्जन न्यायालय की धारा-30 के तहत् सक्षम न्यायालय को निर्देशित कर दिया गया था। सम्प्रति यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आनंद महतो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाये जाने पर उपायुक्त के आदेशानुसार प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी।

आरोप सं0-15 पर बचाव-बयान- मुआवजा भुगतान रैयत के अधिवक्ता द्वारा indemnity bond तथा voucher पर पहचान पर ही एकाउंट पेई चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। खतियानी रैयत के 60 वर्ष पूर्व निधन होने संबंधी जाँच के पश्चात् उपायुक्त, धनबाद के आदेशानुसार संबंधित कर्मी, रैयत को पहचान करने वाले अधिवक्ता एवं बैंक के कर्मचारी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। चूँकि पंचाटी को अधिवक्ता के पहचान पर ही मुआवजा का भुगतान किया गया था और खतियानी रैयत के पूर्व में निधन के संबंध में जाँच करने पर सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है अतः आरोप निराधार है।

आरोप सं0-16 पर बचाव-बयान- स्थल निरीक्षण में सर्वे के आधार पर ही भू-अनुसूची में नाम दर्ज कर भुगतान किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान प्रसंगाधीन रैयतों ने अपने पक्ष में कागजात दिखाए, जिस कारण उनलोगों के नाम से पंचाट घोषित किया गया। लेकिन मामला प्रकाश में आते ही रैयतों को नोटिस दिया गया। श्रीमती शिखा राय, पति-स्व0 मनोहर राय, साकिम-पाण्ड्रा, निरसा, धनबाद द्वारा खाता सं0-590, प्लॉट नं0-1263 एवं 1267 में किये गये आपत्ति को शपथ-पत्र द्वारा वापस ले लिया गया है। अतः लगाये गये आरोप निराधार हैं।

आरोप सं0-17 पर बचाव-बयान- भुगतान की तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ही भुगतान किया गया था। भुगतान प्राप्त किये गये दस्तावेजों के गलत होने की बात सामने नहीं आई थी। संबंधित रकबा के 21 डि0 होने के संबंध में कहना है कि दस्तावेज की भाषा किसी को समझ में नहीं आई। अमीन, जो बंगला जानता था, ने 21 डि0 के स्थान पर 24 डि0 भू-अनुसूची में दर्ज कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत उक्त रैयत को 3 डि0 की मुआवजा राशि वापसी हेतु नोटिस दिया गया था। अतः लगाये गये आरोप निराधार हैं।

आरोप सं0-18 पर बचाव-बयान- भुगतान की तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ही भुगतान किया गया था। भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 तथा धारा-6 के प्रकाशन की अंतिम तामिला तिथि को आधार मानकर ही

पंजी का संधारण किया जाता है। अगर अधिनियम के बाद का दस्तावेज सही है तो रैयत को मुआवजा भुगतान किया जा सकता है। निबंधित दस्तावेज की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि दस्तावेज सं0-11026, दि0 29 दिसम्बर, 1938 का निबंधन जिला निबंधन पदाधिकारी, पुरूलिया के कार्यालय में निष्पादित हुआ था। भूलवश अगर किसी दस्तावेज में निबंधन कार्यालय धनबाद लिखा गया है, तो यह दस्तावेज नवीश की भूल थी। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा एक-एक अक्षर का मिलान करना संभव नहीं था। सभी कागजात नीचे के कर्मचारी को देखना रहता है। आरोप मिथ्या हैं।

आरोप सं0-19 पर बचाव-बयान- स्थल निरीक्षण कार्य सूक्ष्म रूप से अमीन एवं कानूनगो करते हैं। अमीन एवं कानूनगो के प्रतिवेदन के आधार पर एवं स्थल निरीक्षण के समय दावेदार के दखल-कब्जा को देखकर भू-अनुसूची में रैयतों का नाम दर्ज किया जाता है। अमीन एवं कानूनगो द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर ही पंचाट घोषित किया जाता है। अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है। भुगतान की तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ही भुगतान किया गया है। अधिसूचना के पश्चात् का दस्तावेज अगर सही है तो भुगतान किया जा सकता है।

आरोप सं0-20 पर बचाव-बयान- संबंधित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0-80, प्लॉट सं0-1196 रकबा-04 डि0 में से मात्र 02 डि0 भूमि श्रीमती रामधनी विष्टु ने श्री भरत चन्द्र विष्टु एवं तपन चन्द्र विष्टु द्वारा क्रय की है। अतः इनके नाम से 02 डि0 भूमि के लिए शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया, जो उचित एवं सही है। शेष 02 डि0 भूमि के लिए खतियानी रैयत के वंशजों के नाम शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर मुआवजा भुगतान किया गया था, जो उचित एवं सही है। अतः आरोप निराधार है।

आरोप सं0-21 पर बचाव-बयान- प्रश्नगत भूमि के लिए अधिसूचना एवं अधिघोषणा प्रकाशन के बाद दिनांक-04.08.2008 एवं 19 अक्टूबर, 2008 को निबंधित दस्तावेजों के आधार मानकर पंचाट घोषित किया जाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने I.A. No. 3194.The U.P. Jal Nigam vrs. M/s Kalpa Proprities (P) Ltd. & others में न्यायादेश दिया है कि धारा-4(1) की कार्यवाही के बाद निबंधित दस्तावेज के आधार पर पंचाट घोषित किया जा सकता है। उसी आधार पर यह पंचाट घोषित हुआ था, पर उन्हें भुगतान नहीं हुआ था। indemnity bond के आधार पर अगर कोई रैयत गलत भुगतान लेता भी है तो राशि वापसी नोटिस देकर ली गयी राशि वापस करायी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि जिला भू-अर्जन पदा0द्वारा 10-20% तक ही निरीक्षण किया जा सकता है। शत-प्रतिशत निरीक्षण संभव नहीं है। विदित हो कि प्रसंगाधीन मामले में 11 मौजों का एक साथ भू-अर्जन किया जा रहा था, जिसमें करीब 1200 पंचाटी थे। ऐसी स्थिति में सभी का जिला भू-अर्जन पदाधिकारी स्तर पर स्वयं स्थल निरीक्षण कर पाना व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं था।

पूरक आरोप पर बचाव-बयान- (क) उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-3293, दि0-16 दिसम्बर, 2012 द्वारा आरोपी पदा0 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड में योगदान करने का आदेश दिया गया। (ख) उपायुक्त के उक्त

आदेश के विरूद्ध आरोपी पदा0 ने मा0 झारखण्ड उच्च न्यायालय में दि0-20 दिसम्बर, 2012 को रिट याचिका दायर की थी। (ग) उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-3293, दि0-16 दिसम्बर, 2012 के आधार पर उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4590, दि0-21.12.2012 द्वारा आरोपी पदा0 की सेवा कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को वापस कर दी गयी थी। (घ) आरोपी पदा0 दिनांक-31 दिसम्बर, 2012 तक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के रूप में कार्यरत थे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा आरोपी पदा0 की जगह किसी प्रतिस्थानी की पदस्थापना नहीं की गयी थी। दिनांक-31 दिसम्बर, 2012 को आरोपी पदा0 की तबियत खराब हो गयी और आरोपी पदा0 दिनांक-01 जनवरी, 2013 से 02 जनवरी, 2013 तक के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अवकाश पर गये। अग्रतर स्वास्थ्य जाँच कराये जाने की सूचना उपायुक्त, धनबाद को दिनांक-20 जनवरी, 2013 को CMC, Vellore से फैक्स से दी गयी।(ङ) इस बीच आरोपी के रिट याचिका की सुनवाई दि0-15 जनवरी, 2013 को हुई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने आरोपी पदा0 द्वारा दायर Interlocutory Application को स्वीकार कर लिया था। (च) मा0 उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-29 जनवरी, 2013 को पारित न्यायादेश में आरोपी पदा0 को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गयी। (छ) आरोपी पदा0 दिनांक-01 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2013 तक चिकित्सकीय अवकाश में थे तथा दि0 31 जनवरी, 2013 को उपायुक्त, धनबाद के समक्ष योगदान किया गया, जिसे उपायुक्त, धनबाद ने स्वीकार नहीं किया और न ही कोई लिखित सूचना दी, जिससे वे दि0-31 जनवरी, 2013 से 24 मई, 2013 तक प्रभार रहित रहे। (ज) दिनांक-24 मई, 2013 के पूर्वाह्न में आरोपी पदा0 द्वारा कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान किया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी पदा0 दिनांक- 24 मई, 2013 तक जिला भू-अर्जन पदा0, धनबाद के पद पर कार्यरत थे और इस परिस्थिति में उन्हें किसी भी तरह अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता। अतः लगाये गये आरोप निराधार हैं।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही के जाँच-प्रतिवेदन का सार निम्नवत् है-

आरोप सं0-1 का जाँच-प्रतिवेदन- उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ग्राम-पाण्ड्रा, थाना सं0-95, खाता सं0-229, प्लॉट सं0-364, कुल रकबा-27 डि0 के खतियानी रैयत शाहवादी शेख, पिता-नियामत शेख थे। (क) खातेदार शाहवादी शेख, पिता-नियामत शेख द्वारा सादा अनिबंधित दान-पत्र(मुस्लिम कानून में वैध), दिनांक-09 मार्च, 1934 द्वारा काली नापित, साकिन-पाण्ड्रा को ग्राम-पाण्ड्रा, थाना सं0-95, खाता सं0-229, प्लॉट सं0- 364, रकबा-32 डि0 दान की थी और इसी आधार पर अंचलाधिकारी ने जमाबंदी सं0-501, काली नापित के नाम से स्थापित की थी तथा लगान रसीद दि0-25 मार्च, 1966 एवं लगान रसीद दि0-21 फरवरी, 2001 तथा लगान रसीद दि0-

27 अक्टूबर, 2010 32 डि0 के लिए निर्गत किया गया था, जो नियमतः अशुद्ध था। हालाँकि मूल रकबा 27 डि0 पर ही कार्य किया गया, जिससे कोई वैधानिक अवरोध पैदा नहीं हुआ। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को स्वत्व संबंधी

आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें जमाबंदी स्थापित करने के अंचलाधिकारी के आदेश की पुनर्समीक्षा करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं थी। स्थलीय दखल-कब्जा व पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भू-अर्जन प्रक्रिया के तहत् पारित आदेश विधिसम्मत ही थे। अतः आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। (ख) दूसरी ओर खातेदार शाहबादी शेख की पुत्री अल्गुनी बीबी ने विक्रय पत्र सं0-2262, दि0-27 मार्च, 1980 एवं सं0-13651, दि0-12 दिसम्बर, 1983 द्वारा हबीब काजी, पिता-नूर मोहम्मद काजी को उक्त प्लॉट सं0-364 का पूर्ण रकबा 16+11=27 डि0 भूमि अंतरित कर दी थी। चूँकि प्रसंगाधीन प्लॉट 364 के संपूर्ण रकबा 27 डि0(बल्कि 32 डि0) का अंतरण(दान) दि0-09 अक्टूबर, 1934 को ही कर दिया गया था और उक्त अंतरण के आधार पर जमाबंदी सं0-501 स्थापित कर भू-लगान सरकार द्वारा वसूल की जा रही थी, इस हालत में वर्ष 1980 तथा वर्ष 1983 में निष्पादित विक्रय पत्रों से कोई स्वत्व अंतरित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इन विक्रय पत्रों के विक्रेता के पास अंतरण योग्य कोई स्वत्वाधिकार ही अवशेष नहीं थे। हालाँकि आपसी सहमति के आधार पर क्रेता हबीब काजी, पिता-नूर मोहम्मद काजी को 1¾ डि0 भूमि का मुआवजा किया गया था। (ग) दान प्राप्तकर्त्ता काली नापित के उत्तराधिकारियों सुनील भंडारी इत्यादि ने अन्य बिक्री दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न भूधारियों को 26¾ डि0 भूमि बिक्री कर दी थी और तद्नुसार उसका मुआवजा क्रेताओं को भुगतान किया गया था। अतः प्लॉट के मूल रकबा से अधिक का भू-अर्जन किये जाने व मुआवजा भुगतान का आरोप निराधार प्रतीत होता है। विक्रय पत्र सं0-7393, दि0-20 जून, 2008 द्वारा सुनील भंडारी, पिता-नकुल भंडारी ने संचित कुमार, पिता-नन्द किशोर प्रसाद को मौजा-पाण्ड्रा, थाना सं0-95, खाता सं0-229, प्लॉट सं0-364, रकबा-2 डि0 भूमि बिक्री की थी। इसी आधार पर उपरोक्त क्रमांक-20 एवं 21 में संचित कुमार के नाम से एक-एक डि0 का दो शिड्यूल बनाया गया प्रतीत होता है। हालाँकि एक ही शिड्यूल में 2 डि0 भूमि का मुआवजा भुगतान किया जा सकता था। आरोपी पदाधिकारी ने इसे लिपिकीय भूल माना है, जो तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है। आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

आरोप सं0-2 का जाँच-प्रतिवेदन- प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रसंगाधीन भूमि (मौजा-पाण्ड्रा, मौजा नं0-95, खाता सं0-181, प्लॉट सं0-961, रकबा-97 डि0) सर्वे खतियान में खातेदार सदानंद तिवारी के नाम से अंकित था। इस भूमि का कालांतर में हुए अंतरण के आधार पर जान मोहम्मद के नाम से उक्त भूमि की जमाबंदी अंचलाधिकारी द्वारा प्रारंभ की गयी थी। शिड्यूल पंजी के अवलोकन से विदित होता है कि दस्तावेज सं0-25097, दिनांक-06 अक्टूबर, 1970 द्वारा श्री महादेव चन्द्र बल, पिता-नकरी बल ने क्रेता मदन महतो, पिता-जादू महतो को मौजा-पाण्ड्रा, मौजा नं0-95, खाता सं0-181, प्लॉट सं0-961, रकबा-97 डि0 में से अर्जित रकबा 42 डि0 भूमि की बिक्री की थी और इसी आधार पर श्री धीरेन महतो, पिता-श्री मदन महतो के नाम से शिड्यूल तैयार किया गया था जबकि जिला अवर निबंधक के पत्रांक-2129/निबंधन, दि0-16नवम्बर, 2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित दस्तावेज सं0-25097, दिनांक-06 अक्टूबर, 1970 मौजा-सरायढेला, मौजा नं0-08, खाता सं0-129, प्लॉट सं0-2560, रकबा-12.33 डि0 भूमि के लिए निबंधित था तथा उक्त दस्तावेज वर्ष 1970 की आगजनी में नष्ट हो गयी थी। स्पष्टतः तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर सरकारी राशि का गलत भुगतान किया गया था। आरोपी पदाधिकारी

द्वारा इस तथ्य से सहमति व्यक्त की गयी है। हालाँकि उनके द्वारा भुगतान वापसी के लिए कार्रवाई करने का दावा किया गया है पर गलत भुगतान तो हो ही गया था। आरोपी पदाधिकारी का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। गलत विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी राशि का भुगतान स्वयंसिद्ध है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-3 का जाँच-प्रतिवेदन- मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-341, प्लॉट नं0-1506 कुल रकबा-71 डि0 (अर्जित रकबा-05 डि0) भूमि के खतियानी रैयत काली नापित की विधवा पत्नी महिनी नपतानी ने अपने नाबालिग पुत्र नकुल नापित एवं रतन नापित की ओर से उक्त पूरी भूमि विक्रय पत्र सं0-2787, दि0-07 अप्रैल, 1943 द्वारा कालीपद धीवर को बिक्री कर दिया था। विभिन्न हस्तांतरण के फलस्वरूप शेख मो0 जामिल वगैरह धनबाद निबंधन कार्यालय में निबंधित विक्रय पत्र सं0-3384, दि0-29 मार्च, 2008 से उक्त प्लॉट में 16 डि0 भूमि क्रय की थी एवं दाखिल-खारिज कराकर लगान भुगतान कर रहे थे। इस मामले में प्लॉट सं0-1506 के अर्जित रकबा-05 डि0 भूमि के मुआवजा का भुगतान छाया भंडारी सहित कुल 5 व्यक्तियों को किया गया है एवं उपरोक्त शेख मो0 जामिल वगैरह को उनके मकान का मुआवजा उसी अर्जित भूमि के अंतर्गत दखलकार दर्शाते हुए प्राप्त आपत्ति को नजरअंदाज कर भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि काली नापित की खतियानी भूमि की बिक्री वर्ष 1943 में ही हो चुकी थी और विमल पटवार को सुनील भण्डारी ने ही भूमि बिक्री की थी। सुनील भंडारी द्वारा अपने पितामह काली नापित का खतियान उपलब्ध रहने का उल्लेख कर अन्य चार क्रेताओं सहित विमल पटवार के खरीदार छाया भंडारी को भी विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का मुआवजा भुगतान किया गया था, जो गलत भुगतान था। संबंधित भू-अर्जन अभिलेख सं0-08/2007-08 में दि0-14 जुलाई, 2008 को निर्गत अधिसूचना व अधिघोषणा में निर्धारित तिथि के पश्चात् निबंधित दस्तावेज के आधार पर बिना दाखिल-खारिज के मुआवजा का अवैध भुगतान किया गया है। आरोपी पदाधिकारी इस चूक का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-4 एवं 5 का जाँच-प्रतिवेदन- यह आरोप मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-707, प्लॉट सं0-1220 कुल रकबा 27 डि0 भूमि से संबंधित है। विगत सर्वे खतियान के अनुसार उक्त भूमि खेवट सं0-62 अंतर्गत आबाद मालिक खास भूमि है और खेवटदार के रूप में गोविन्द नारायण सिंह के नाम से दर्ज है। अपर समाहर्त्ता के जाँच-प्रतिवेदन से विदित होता है कि श्री गोविन्द नारायण सिंह के दो पुत्र देव नारायण सिंह एवं राम नारायण सिंह थे। राम नारायण सिंह के नाबालिग रहने की स्थिति में देव नारायण सिंह ने उक्त भूमि सतीश चन्द्र घोष को बिक्री कर दी थी और उनके नाम से जमाबन्दी सं0-1154 कायम की गयी थी, जिसमें लगान की वसूली हो रही है। उक्त भूमि के हस्तांतरण विवरणी एवं शिड्यूल पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें अंकित सतीश चन्द्र घोष, उनके पुत्र शशांक शेखर घोष, अबुल बसर, अबुल मतीन, मो0 तलहा, अंजरूल आम, शेख नूर आलम, खैरूल बसर, शेख रोताज, शेख नूर हुसैन एवं शेख नईम के नाम को पेंसिल अथवा पेन से घेरकर/क्रॉस कर बिना किसी कारण पूर्णेन्दु विकास तिवारी उर्फ सोमन तिवारी का नाम श्री राम नारायण सिंह के द्वारा तथाकथित कार्यान्वित दस्तावेज सं0-6373, दि0-13 अगस्त, 1945 के आधार पर दर्ज कर दिया गया था तथा मूल्यांकन खतियान भी उनके नाम से तैयार किया गया था। आरोपी पदा0 का कहना है कि नकल खतियान में राम नारायण सिंह का दावा होने का उल्लेख नहीं था। संभवतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति पर ही राम नारायण सिंह ने अपने हिस्से की भूमि को पूर्णेन्दु विकास तिवारी के पिता श्री उपेन्द्र नारायण तिवारी को बिक्री कर दी थी।मामला प्रथमदृष्ट्या विवादित प्रतीत होता है। मुआवजा भुगतान के लिए उचित

पात्रता निर्धारित करने के पूर्व दावेदारों के दावों की जाँच की आवश्यकता थी, जो नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि शिड्युल एवं मूल्यांकन खतियान को मनमानीपूर्ण तरीके से तैयार कर मुआवजा भुगतान करने का आरोप सही है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-6 का जाँच-प्रतिवेदन- उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि-

(क) प्रसंगाधीन भू-अर्जन प्रक्रिया में अधिनियम की धारा 04(1) की अधिसूचना तिथि 14 जुलाई, 2008 का मान नहीं रखा गया, जिससे पूरी भू-अर्जन प्रक्रिया दूषित हो गयी थी। आरोप प्रमाणित होते हैं। (ख) दिनांक-22 सितम्बर, 2008 को निबंधित विक्रय-पत्रों को उनकी तिथि में छेड़छाड़ कर दिनांक-22 जुलाई, 2008 अंकित कर मुआवजे का भुगतान किया गया है। गलत भुगतान के लिए ही यह कार्रवाई की गयी थी। आरोप तथ्यपूर्ण है। (ग) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक-822, दि0-22 सितम्बर, 2008 द्वारा संबंधित भूमि को भू-अर्जन क्षेत्र से बाहर रहने संबंधी प्रमाण-पत्र के आधार पर निबंधित विक्रय पत्र सं0-12536, दि0-22 सितम्बर, 2008 का संज्ञान लेकर शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार कर भुगतान करना जानबूझकर गलत भुगतान के लिये की गयी कार्रवाई ही थी। यह धोखाधड़ी के आरोप को संपुष्ट करता है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-7 का जाँच-प्रतिवेदन- आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये मुआवजा भुगतान की राशि वापस करने के संबंध में नोटिस निर्गत किये जाने की कार्रवाई गलत मुआवजा भुगतान की स्वीकारोक्ति है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-8 का जाँच-प्रतिवेदन- जाँच-प्रतिवेदन के अनुसार दस्तावेज सं0-16933, दि0-22 दिसम्बर, 1938 से खतियानी रैयतों द्वारा शिशुवाला दासी, पिता-राय रवानी को बिक्री की गयी। इसी दस्तावेज के आधार पर श्री विमल रवानी, पिता-स्व0 विजय रवानी को मुआवजा भुगतान किया गया है। जाँच-पदाधिकारी द्वारा प्रसंगाधीन विक्रय पत्र सं0-16933, दि0-22 दिसम्बर, 1938 की माँग की गयी, जो उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस कार्यवाही में प्रस्तुत किये गये विक्रय पत्र सं0-6933 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छेड़छाड़ कर इसे 6933 से 16933 बनाया गया है। जिला निबंधक, पुरूलिया के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1938 में 6933 की क्रम संख्या से कोई दस्तावेज उनके कार्यालय में निबंधित नहीं हुआ था। साथ ही, उक्त विक्रय पत्र में वोल्युम-51 का संदर्भ है जबकि उस वर्ष वोल्युम-50 तक ही व्यवहृत हुए थे। स्पष्टतः जब विक्रय पत्र सं0-6933, दि0-22 दिसम्बर, 1938 का ही अस्तित्व संदिग्ध था तो विक्रय पत्र सं0-16933, दि0-22 दिसम्बर, 1938 का अस्तित्व कैसे संभव हो सकता है? आरोप है कि शिड्युल में पूर्व में अंकित किसी व्यक्ति के नाम को व्हाईटनर से मिटाकर विमल रवानी का नाम अंकित कर भुगतान की कार्रवाई की गयी। आरोपी पदा0 ने व्हाईटनर से मिटाने की प्रक्रिया को गलत माना है। उक्त

संशोधन हेतु जिला भू-अर्जन पदा0से किसी प्रकार का ओदश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही अभिलेख अथवा पंजी से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमती शिशुवाला दासी से श्री विमल रवानी का क्या संबंध है?इस संबंध में आरोपी पदा0 का कहना है कि वे जिला भू-अर्जन पदा0 की हैसियत से संशोधन करने के लिये स्वयं सक्षम थे। आरोपी पदा0 अभिलेख में प्रविष्टियाँ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाते होंगे, जिन्हें आरोपी पदा0 से आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिड्युल एवं मूल्यांकन पंजी में हेराफेरी कर भुगतान हेतु अभिश्रव तैयार करने का आरोप तथ्यपूर्ण है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-9 का जाँच-प्रतिवेदन- अपर समाहर्त्ता के जाँच-प्रतिवेदन के अनुसार 02 डि0 के लिये नेहार शेख के नाम से शिड्यूल तथा मूल्यांकन तैयार किया गया था, जिसे व्हाईटनर से मिटा दिया गया है। इसके लिये न तो कोई आदेश उपलब्ध है और न ही उसे किसी पदाधिकारी से सत्यापित ही कराया गया है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित दस्तावेज सं0-3769, दि0-02 अप्रैल, 2008 के अवलोकनोपरांत जाँच-पदाधिकारी ने पाया कि उक्त बिक्री पत्र प्लॉट सं0-1529 एवं 1506 रकबा 06 डि0 के लिए कार्यान्वित है, जिसमें प्लॉट सं0-1532 अंकित किया गया है जबकि शब्दों में पंद्रह सौ उनतीस एवं पंद्रह सौ छः अंकित है। उक्त दस्तावेज के विरूद्ध श्री शंकर भंडारी को 06 डि0 भूमि के एवज में भुगतान किया गया है। सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किये गये उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें उपरिलेखन कर मुआवजे के गलत भुगतान का प्रयास किया गया था। इसी प्रकार, विक्रय पत्र सं0-9725, दि0-04 अगस्त, 2008 एवं विक्रय पत्र सं0-9892, दि0-07 अगस्त, 2008 भी प्रसंगाधीन भूमि के अंतरण से संबंधित न होकर किसी अन्य ग्राम रंगडीह, थाना सं0-94 की भूमि से संबंधित थे। स्पष्टतः इन विक्रय पत्रों का संदर्भ लेकर फर्जी तरीके से सरकारी राशि के मुआवजे के भुगतान का प्रयास किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि साजिशपूर्ण तरीके से सरकारी धनराशि के गलत भुगतान को अंजाम देने का आरोप तथ्यपूर्ण है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-10 का जाँच-प्रतिवेदन- श्रीमती सीमा देवी, पति-श्री रोहन रवानी एवं श्री भोलानाथ रवानी द्वारा आपत्ति की गयी थी कि उन्हें प्रश्नगत भूमि क्रमशः दस्तावेज सं0-4153 एवं 4164, दि0-09 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रत्येक को 02 डि0 भूमि प्राप्त थी, पर उन्हें 01-01 डि0 भूमि का ही मुआवजा मिला है। शिड्यूल के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक आपत्तिकर्त्ता के नाम से 02 डि0 भूमि अंकित की गयी थी, जिसे बाद में बगैर किसी आदेश के काटकर 01 डि0 कर दिया गया है। विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है। दूसरी ओर प्रश्नगत भूमि के अंतरण सारणी से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र सं0-7041, दि0-16.06.2008 के आधार पर 02 डि0 भूमि का मुआवजा संजय कुमार भंडारी, पिता-प्रह्लाद भंडारी, नि0-देवीघरा को तथा विक्रय पत्र सं0-7042, दि0-16 जून, 2008 के आधार पर 02 डि0 भूमि का मुआवजा अनिल कुमार भंडारी, पिता-प्रह्लाद भंडारी, नि0-देवीघरा को भुगतान किया गया है। इन विक्रय पत्रों के विक्रेता विश्वनाथ भंडारी, पिता-स्व0 नकुल भंडारी को भूमि पर स्वत्व कैसे प्राप्त हुआ था, स्पष्ट नहीं है। इन विक्रय पत्रों को सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। आरोपी पदा0 का दावा है कि विगत सर्वे में प्रसंगाधीन भूमि में दर रैयत के रूप में वानेश्वर नापित का नाम अंकित था, पर आरोपी पदा0 ने अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उनका यह भी दावा है कि प्लॉट सं0-136 के कुल रकबा 0.8 में से 0.2 डि0 भूमि

दर रैयत के वंशज क्रमशः श्री संजय भंडारी एवं श्री अमित भंडारी के नाम दर्ज कर उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। आरोपी पदा0 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब पूर्ण प्लॉट (8 डि0) पर दर रैयत का नाम खतियान में दर्ज था तो मात्र 02 डि0 पर ही क्यों उनका स्वत्व माना गया? विक्रय पत्र सं0-7041 एवं 7042, दि0-16 जून, 2009 द्वारा दर रैयती स्वत्व का अंतरण करने का दावा किया गया है, पर ऐसा कोई विवरण भू-अनुसूची में अंकित नहीं है। साथ ही, आरोपी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि दर रैयती स्वत्व सामान्यतः अहस्तांतरणीय होते हैं, फिर विक्रय पत्र सं0-7041 एवं 7042, दि0-16 जून, 2008 द्वारा किये गये अंतरण कानूनी रूप से वैध नहीं होने के बावजूद उनका संज्ञान क्यों लिया गया? इन विक्रय पत्रों के क्रेता को किये गये मुआवजा भुगतान वैध नहीं थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमानीपूर्ण ढंग से भूमि शिड्यूल, मूल्यांकन तथा अभिश्रव तैयार कर अनियमित रूपसे सरकारी मुआवजे के भुगतान की कार्रवाई की गयी थी। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-11 का जाँच-प्रतिवेदन- जिला निबंधक, पुरूलिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रय पत्र सं0-6732, दि0-22 दिसम्बर, 1938 उनके कार्यालय में निबंधित नहीं था।

आरोपी पदा0 का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि दस्तावेज सं0-6732 को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के जाली साबित उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था क्योंकि फर्जी विक्रय पत्र से कोई स्वत्व अंतरित नहीं होता है, बल्कि सक्षम न्यायालय से स्वत्व वाद में आदेश प्राप्त करने का दायित्व क्रेता का था, न कि भू-अर्जन पदाधिकारी का। दूसरा, भूमि शिड्यूल के पृष्ठ सं0-978/प0 पर प्लॉट सं0-1213, रकबा-26 डि0, जो उपरोक्त विक्रय पत्र में अंतरित दिखलाया गया है, का संज्ञान नहीं लिया गया है। तीसरा, जाँच-प्रतिवेदन के अनुसार, उदय शंकर दास एवं कालीपद दास द्वारा मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-07, प्लॉट सं0-1195, रकबा-34 डि0 पर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी होने के नाते मुआवजा का दावा किया गया है, अर्थात् खातेदार के वंशज उपरोक्त अंतरण को अस्वीकार करते है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को स्वयं प्रसंगाधीन भूमि की स्थलीय जाँच कर कोई निर्णय लेना चाहिए था, जो आरोपी पदा0 द्वारा नहीं किया गया और सरकारी राशि का गलत भुगतान होने दिया गया। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-12 का जाँच-प्रतिवेदन- प्रश्नगत भूमि के शिड्यूल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भरत पटवार, पिता-गोविंद पटवार एवं संतोष पटवार व जगरनाथ पटवार, पिता-भरत पटवार, नि0-पाण्ड्रा के नाम 03 डि0 के लिए तथा आपत्तिकर्त्ता श्रीमती गुलु बीबी के नाम से 06 डि0 के लिए शिड्यूल तैयार किये गये थे। यह भी स्पष्ट है कि 03 डि0 भूमि के लिए पूर्व से अंकित रैयत के नाम को मिटाकर भरत पटवार का नाम अंकित किया गया है तथा श्रीमती गुलु बीबी के नाम को घेर कर राखो हरि मिस्त्री द्वारा कार्यान्वित दस्तावेज सं0 11353, दि0-04.10.1945 के आधार पर मिलन महतो व धनु महतो, पिता-मदन महतो, नि0-पाण्ड्रा का नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार का संशोधन मूल्यांकन खतियान में भी किया गया है। इन संशोधनों के लिए भू-अर्जन पदाधिकारी की अनुमति आवश्यक थी। इनके लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं है। आरोपी पदा0 द्वारा प्रविष्टियों की जाँच किये बिना भुगतान की कार्रवाई की गयी। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-13 का जाँच-प्रतिवेदन- संबंधित शिड्यूल के अवलोकन से व्हाईटनर लगाकर संशोधन करने के तथ्य की पुष्टि होती है परंतु इस बिंदु पर आरोपी पदा0 का स्पष्टीकरण कि यह अमीन के अज्ञानतावश हुई गलती है-स्वीकार किया जा सकता है। आरोप है कि धारा-9 के तहत् हाजी अब्दुल रहमान को नोटिस निर्गत किया गया एवं उनके नाम से मूल्यांकन खतियान भी तैयार किया गया था। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि जाँच के क्रम में यह प्रकाश में आया कि शीतल रवानी एवं पीतल रवानी, पिता-शेर बहादुर रवानी, खतियानी रैयत के वंशज थे अतः उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। सुनवाई के क्रम में उपायुक्त के तरफ से आरोपी पदा0 के इस दावे के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आरोपी पदा0 का दावा प्रथमदृष्ट्या तर्कसंगत प्रतीत होता है। आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

आरोप सं0-14 का जाँच-प्रतिवेदन- प्रश्नगत भू-अर्जन में संभवतः सबसे बड़े भूखंड(1.08 एकड़) का भू-अर्जन तथा एक बड़ी सरकारी धनराशि (रू0 40 लाख लगभग) शामिल थी। इतने बड़े transaction को जिला भू-अर्जन (आरोपी) पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से स्वयं handle करना चाहिए था। इस उत्तरदायित्व को नहीं निभाने का कोई संतोषजनक उत्तर आरोपी पदाधिकारी ने अपने बचाव बयान में नहीं दिया है। आरोपी पदा0 द्वारा गलत मुआवजा भुगतान के बाद विभिन्न न्यायालयों में स्वत्व निर्धारण वाद तथा आपराधिक मुकदमे दायर किये जाने से ही इस तथ्य की स्वीकारोक्ति हो जाती है कि अनियमितताएँ बरती गयी थीं। सरकारी धनराशि का अपव्यय/गबन से अभिरक्षा का दायित्व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के रूप में आरोपी पदा0 का ही था। गलत भुगतान के पूर्व उन्हें पूर्ण रूप से दावों का परीक्षण कर लेना था। indemnity bond अथवा undertaking लेकर गलत भुगतान कर देने और आपत्ति होने पर निरोधी कार्रवाइयाँ करना मात्र दिखावे के लिए की गयी प्रतीत होती हैं। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-15 का जाँच-प्रतिवेदन- विगत भूमि सर्वेक्षण व भू-अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का कार्य 193 के दशक में ही समाप्त हो चुका था। स्वभावतः सामान्य ज्ञान से भी खतियानी रैयत के अब तक जीवित रहने की संभावना काफी क्षीण थी, पर वर्ष 2008-12 में कार्यान्वित भू-अर्जन प्रक्रिया में खातेदार नकड़ी बल के नाम से मूल्यांकन खतियान एवं अभिश्रव तैयार कर भुगतान की कार्रवाई की गयी। यह अपने-आप में आपराधिक मंशा से किया गया कृत्य ही परिलक्षित होता है। बाद में आपत्तियाँ प्राप्त होने पर सरकारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राशि की वसूली एवं आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्रवाई की गयी प्रतीत होती है। प्रश्नगत भूमि का इन्द्राज मूल खातेदार नकड़ी बल के नाम से शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान साजिशपूर्वक अंकित रहने दिया गया तथा आपराधिक मंशा से समुचित पहचान-पत्र आदि प्राप्त नहीं कर indemnity bond इत्यादि formalities पूरा कर छद्म व्यक्ति को सरकारी मुआवजे (रू0 5,04,694.60) का भुगतान कर दिया गया। आरोपी पदा0 ने भुगतान आदेश पारित करने के पूर्व भुगतान प्राप्तकर्त्ता के संबंध में अपने स्तर से जाँच नहीं की। इस कारण अभिलेख में त्रुटियाँ रह गयीं और गलत भुगतान हो गया। स्पष्टतः आरोपी पदा0 द्वारा लापरवाही की गयी है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-16 का जाँच-प्रतिवेदन- दिनांक-14 जुलाई, 2008 को अधिसूचना एवं अधिघोषणा के निर्गत होने के उपरांत साजिशपूर्वक कार्यान्वित दस्तावेजों के आधार पर शिड्यूल एवं मूल्यांकन खतियान तैयार करने का औचित्य आरोपी पदाधिकारी स्पष्ट नहीं कर सके। वैधानिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए भुगतान की कार्रवाई की गयी। आपत्तिकर्त्ता श्रीमती शिखा राय द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से आपत्ति को वापस लिये जाने से की गयी

अवैधानिक कार्रवाइयाँ वैधानिज नहीं हो सकती, बल्कि बरती गयी अनियमितताओं को संपुष्ट ही करती हैं। आपत्तिकर्त्ता ने अपने हित में आपत्तियाँ वापस ले ली होंगी। उन्हें भूमि के मुआवजे की राशि भुगतान कर दी गयी होंगी, पर इससे सरकारी प्रक्रिया का शुद्धिकरण तो नहीं हो गया। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-17 का जाँच-प्रतिवेदन- आरोपी पदा0 का कहना है कि भुगतान की तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भुगतान किया गया था। प्रश्न यह है कि आरोपी पदा0 ने गंभीरता से मामले की जाँच की होती तब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती, उन्होंने तो जाँच ही नहीं किया प्रतीत होता है। आरोपी पदा0 ने स्वीकार किया है कि बंगला जानने वाले अमीन द्वारा 21 डि0 के स्थान पर 24 डि0 दर्ज किये जाने के कारण 24 डि0 का मुआवजा भुगतान हो गया था। इस प्रकार, अस्पष्टता में रोकड़ का भुगतान करना स्वयं में एक बड़ी भूल थी। भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अधिकाय भुगतान की प्रतिविहित प्रक्रिया अपवाद में आकस्मिक भूलों को सुधारने के लिए हैं न कि लापरवाही में किये गये कृत्यों को क्षमा करने के लिए। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-18 का जाँच-प्रतिवेदन- आरोपी पदा0 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख किया है, उसी आदेश में कहा गया है कि जिला भू-अर्जन पदा0 के लिए अधिसूचना की तिथि के बाद निबंधित दस्तावेज शून्य हैं। उनकी मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आरोपी पदा0 का तर्क विधिमान्य नहीं है। आरोपी पदा0 यह भूल गये कि किसी भी खाते के स्वत्त्व को सुनिश्चित करने के लिए अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पास संधारित जमाबंदी एवं स्थल पर भौतिक दखल का भी अध्ययन आवश्यक था। उन्होंने जमाबंदी व स्थलीय निरीक्षण का सहारा लिया होता तो यह गलती नहीं होती। दस्तावेज में भूलवश धनबाद अंकित होने संबंधी आरोपी पदाधिकारी का कथन उनकी असावधानी का ही प्रतीक है। वित्तीय नियमों में सरकारी धनराशि के व्ययन का एक प्रमुख सिद्धांत है कि राशि को व्यय करने में उतनी ही सतर्कता बरतने की बाध्यता रहती है, जितनी किसी सामान्य व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी स्वयं की धनराशि। की गयी गलती को दूसरे की भूल बताकर उत्तरदायित्व से बचा नहीं जा सकता। आरोपी पदाधिकारी द्वारा निबंधन कार्यालय, धनबाद तथा पुरूलिया से पृच्छा कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती थी। उन्होंने सतर्कता नहीं बरत कर अपनी असावधानी का ही परिचय दिया था। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-19 का जाँच-प्रतिवेदन- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि भुगतान की तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ही भुगतान कर दिया गया था। जहाँ अन्य ग्राम के विक्रय पत्र का इस्तेमाल कर फर्जी गुपचुप भुगतान किया जा रहा हो, जहाँ पदाधिकारी ने विक्रय पत्र को पढ़ने तक का कष्ट नहीं उठाया हो, वहाँ आपत्तियाँ प्राप्त होने का प्रश्न कहाँ उठता है? दूसरे ग्राम की जमीन के विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी मुआवजे का भुगतान आपराधिक मंशा से किया गया फर्जी भुगतान था और यह आपराधिक कार्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी का था। आरोपी पदा0 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख किया है, उसी आदेश में कहा गया है कि जिला भू-अर्जन पदा0 के लिए अधिसूचना की तिथि के बाद निबंधित दस्तावेज शून्य हैं। उनकी मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्टतः आरोपी पदा0 ने ऐसे कालबाधित अवैध अभिलेखों को किसी निहित स्वार्थवश वैधानिकता प्रदान कर पूरी भू-अर्जन प्रक्रिया को दूषित कर दिया था। आरोपी पदा0 का कोई तर्क विधिमान्य नहीं है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप सं0-20 का जाँच-प्रतिवेदन- आरोपी पदाधिकारी द्वारा वंशावली अंकित कर उस पर संबंधित लाभुकों का तथा कम से कम दो गवाहों का हस्ताक्षर प्राप्त कर अभिलेख के साथ साक्ष्य स्वरूप संलग्न कर देना उचित था। ऐसा नहीं किया गया है, जिससे आशंकाओं का जन्म होना लाजिमी ही है। पर, इन प्रविष्टियों के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होना उसकी स्वीकार्यता व सत्यता को संपुष्ट करता है। राजस्व अभिलेख में भूमि सर्वेक्षण में तैयार भू-अधिकार अभिलेख व निबंधित विक्रय-पत्रों की प्रविष्टियाँ अपने-आप में उनकी सत्यता के conclusive proof होती हैं। अतः खतियानी रैयतों के वंशावली का स्थलीय निरीक्षणों में स्थानीय ग्रामीणों से सत्यापन विधिसंगत ही है। आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

आरोप सं0-21 का जाँच-प्रतिवेदन- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित न्यायादेश के अनुसार दो स्थितियाँ हैं। प्रथम, भू-अर्जन अधिनियम की धारा-04(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना व अधिघोषणा के बाद निबंधित विक्रय पत्र भू-अर्जन प्रक्रिया के लिए प्रभावविहीन तथा शून्य प्रकृति के होते है, इसलिए उनका भू-अर्जन प्रक्रिया में संज्ञान में लेने की कोई आवश्यकता मा0 न्यायालय ने नहीं बतलाई है। द्वितीय, जहाँ तक मुआवजा भुगतान का प्रश्न है, मा0 न्यायालय का मत है कि उन कालबाधित विक्रय-पत्रों का क्रेता अधिक से अधिक अपने-अपने विक्रेता का स्थान ग्रहण कर मुआवजा का दावा करेन का अधिकारी है। स्पष्टतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा-04(1) की अधिसूचना की तिथि 14 जुलाई, 2008 के बाद निबंधित विक्रय-पत्रों का भू-अर्जन प्रक्रिया में संज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बावजूद उक्त अवपक दस्तावेज के आधार पर पंचाट घोषित किये जाने मात्र की स्थिति में भी लगाये गये आरोप स्थापित हो जाते हैं। स्पष्टतः आरोपी पदाधिकारी ने शून्य विधिमान्यता वाले अभिलेखों की मान्यता देकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्य ही नहीं किया था। आरोप प्रमाणित होते हैं।

पूरक आरोप का जाँच-प्रतिवेदन- उभय पक्षों के उपरोक्त तर्क-वितर्क से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं- (क) आरोपी पदाधिकारी को मैथन पावर लि0 के लिए किए जा रहे भू-अर्जन प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितताओं के कारण प्रशासनिक आधार पर हटाया जा रहा था। (ख) आरोपी पदा0 इस आदेश को कार्यान्वित नहीं होने देने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने इसके लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का सहारा लेने का प्रयास किया। पर इसी बीच उनकी सेवावधि समाप्त होने लगी। वे दिनांक-31 मई, 2013 को सेवानिवृत्त हो गए। उपर्युक्त स्थिति में प्रशासनिक आदेश को नहीं स्वीकारने का आरोप प्रमाणित होता है और आदेश के कार्यान्वयन से बचने के लिए उन्होंने चिकित्सा अवकाश का सहारा लिया था। पर सेवानिवृत्ति तिथि 31 मई, 2013 पास आ जाने के कारण उन्हें मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान कर सेवानिवृत्त हो जाना पड़ा। आरोप प्रमाणित होते हैं।

श्री नायक के विरूद्ध वर्णित गंभीर प्रकृति के 19 प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अधीन 50 (पचास) प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-5566, दिनांक-23 जून, 2015 द्वारा श्री नायक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री नायक के पत्र, दिनांक-11अगस्त, 2015 द्वारा प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें दिये गये तथ्यों का सार निम्नवत् हैं-

आरोप सं0-2 का जवाब- (क) स्थल जाँच के समय श्री धीरेन महतो द्वारा प्रस्तुत किये गये जमीन के कागजातों की अमीन एवं कानूनगो द्वारा जाँच की गयी थी। (ख) मुआवजा भुगतान होने तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। अतः indemnity bond लेकर भुगतान किया गया। (ग) भुगतान के पश्चात् जॉन मो0 की आपत्ति प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए श्री धीरेन महतो को राशि वापस करने की Notice दी गयी। उपायुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है कि 1,96,000 रूपये की राशि वापस की गयी है।

आरोप सं0-3 का जवाब- (क) सुनील भंडारी के एक भाई का नाम विश्वनाथ नापित है। चूँकि लोगो द्वारा घरेलू बँटवारे के आधार पर अपने हिस्से की जमीन बिक्री की जाती है। सुनील भंडारी द्वारा कार्यान्वित दस्तावेज-1. बादलचंद्र गोस्वामी, 2. अशोक भंडारी, 3. दिनेश मालाकार, 4. ब्रह्मदेव चैरसिया एवं 5. श्रीमती छाया भंडारी के नाम के दस्तावेज 02 अप्रैल, 08 से 04 अगस्त, 08 तक के हैं। इन दस्तावेजों के क्रियान्वयन के उपरांत धारा-11 के तहत् स्थल जाँच के समय 1. शेख मोहम्मद जामिल, 2. मो0 रियाजुद्दीन एवं 3. शेख मो0 आरिफ का गृह संरचना पाया गया। (ख) उक्त क्रियान्वित दस्तावेज के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है और न ही किसी ने आपत्ति की है। (ग) Registration Act, 1908 के Section-47 पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा Civil Revn. App. No. 371/1962, dtd 27 जून, 1996 में पारित न्यायादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन केवाला क्रियान्वित होता है उसी दिन से खरीददार का जमीन पर हक हो जाता है। (घ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उप धारा-(1)(iii) के अंतर्गत संबंधित भूमि/मकान में प्राप्त हक/दावा की जानकारी तथा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-30 के अंतर्गत पंचाटियों के बीच पंचाटित राशि का संविभाजन कर पंचाट घोषित किया गया है, जो न्याय सम्मत है।

आरोप सं0-4 एवं 5 का जवाब- (क) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मैं स्वयं था। अतः सुधार करने के लिए किसी वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। (ख) स्थल निरीक्षण के समय जिन रैयतों ने अपने-अपने कागजात प्रस्तुत किये उनका नाम स्थल पर ही पूर्व में अंकित व्यक्ति का नाम घेरकर चढ़ा दिया गया। (ग) संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन कि उपरोक्त खाता-प्लॉट का जमाबंदी भी नहीं खोला गया था-के संबंध में कहना है कि जिस दिन किसी भूमि का निबंधन क्रियान्वित होता है, उसी दिन से डीड धारक का हक-दखल व दावा बनता है। (AIR-1968 Gujrat)

आरोप सं0-6 का जवाब- (क) चूँकि मौजा-पाण्ड्रा के खाता सं0-176, प्लॉट सं0-964, कुल रकबा-64 डि0 में से 22 डि0 भूमि का ही अधिग्रहण किया गया है। अतः शेष 42 डि0 भूमि के अधिग्रहण मुक्त होने संबंधी प्रमाण-पत्र देना गलत नहीं है। (ख) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उप धारा- (1)(iii) के अंतर्गत संबंधित भूमि/मकान में प्राप्त हक/दावा की जानकारी तथा भू-अर्जन अधिनियम की धारा-30 के अंतर्गत पंचाटियों के बीच पंचाटित राशि का संविभाजन कर पंचाट घोषित किया गया है, जो न्याय सम्मत है। (ग) संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन कि उपरोक्त खाता-प्लॉट का जमाबंदी भी नहीं खोला गया था-के संबंध में कहना है कि जिस दिन किसी भूमि का निबंधन क्रियान्वित होता है, उसी दिन से डीड धारक का हक-दखल व दावा बनता है। (AIR-1968 Gujrat)

आरोप सं0-7 का जवाब- (क) स्थल निरीक्षण के समय जिन रैयतों या उनके प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कागजात प्रस्तुत किये उनका नाम भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान में दर्ज कर लिया गया। (ख) संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन कि उपरोक्त खाता-प्लॉट का जमाबंदी भी नहीं खोला गया था-के संबंध में कहना है कि जिस दिन किसी भूमि का निबंधन क्रियान्वित होता है, उसी दिन से डीड धारक का हक-दखल व दावा बनता है। (AIR-1968 Gujrat) (ग) indemnity bond लेकर भुगतान किया गया।

आरोप सं0-8 का जवाब- (क) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मैं स्वयं था। अतः सुधार करने के लिए किसी वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। (ख) भू-अर्जन कार्यालय में किसी भी दस्तावेज को सही या गलत करने का कोई पैमाना नहीं है। अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला दोषी होता है। (ग) indemnity bond लेकर भुगतान किया गया।

आरोप सं0-9 का जवाब- (क) अमीन एवं कानूनगो द्वारा स्थल निरीक्षण करने के समय दलील की जाँच एवं भूमि की वास्तविक स्थिति देखकर भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया जाता है। (ख) indemnity bond लेकर भुगतान किया गया। (ग) भुगतान के पश्चात् मामला सामने आने पर रैयतों को नोटिस देकर राशि के वसूली की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-10 का जवाब- (क) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 की कार्रवाई के समय सभी रैयतों की सहमति से दर रैयत, बानेश्वर नापित के उत्तराधिकारियों का नाम भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान में दर्ज किया गया है। पूर्व के भू-अर्जन पदाधिकारी के समय वर्ष 2008 के नकल खतियान सर्च कर तैयार करने के समय ही दखलकार बानेश्वर नापित दर रैयत खाता सं0-72 दर्ज है। (ख) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-30 के पृष्ठ सं0-784 एवं 785 मालिक रैयत, दर रैयत एवं दखलकार के बीच बँटवारा करने का प्रावधान है।

आरोप सं0-11 का जवाब- (क) श्री शिवदास घोष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सं0-6732, दिनांक 11 दिसम्बर, 1938 पर किसी भी रैयत द्वारा आपत्ति नहीं की गयी। (ख) indemnity bond लेकर भुगतान किया गया। (ग) भुगतान के पश्चात् खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा आपत्ति किये जाने पर इसके निपटारे हेतु L.A.Judge cum Competent में अग्रसारित कर दिया गया।

आरोप सं0-12 का जवाब- (क) संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि खतियानी के दावेदार गुल्लू बीवी, पति-हाजी अब्दुल रहमान, खाता सं0-62, प्लॉट सं0-116, रकबा-09 बिक्री रकबा शून्य जमाबंदी अप्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि गुल्लू बीवी का कोई दावा बनता ही नहीं था। (ख) भू-अनुसूची में पूर्व खतियानधारी का नाम अंकित था, जिसे स्थल निरीक्षण के समय घेरकर हटा दिया गया तथा वास्तविक दावेदार श्री भरत पटवार एवं राखोहरी मिस्त्री का नाम भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन पंजी में दर्ज किया गया, जो न्यायसंगत है। (ग) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मैं स्वयं था। अतः सुधार करने के लिए किसी वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

आरोप सं0-14 का जवाब- (क) श्रीमती सुषमा घोष एवं पुलक आर्या द्वारा मुआवजा भुगतान के बाद आपत्ति की गयी। (ख) विषयगत मामला संप्रति माननीय अपर न्यायाधीश-सह- भू-अर्जन न्यायाधीश, धनबाद के

न्यायालय में विचाराधीन है। (ग) श्री आनंद महतो के विरूद्ध जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर राशि प्राप्त करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

आरोप सं0-15 का जवाब- (क) अमीन एवं कानूनगो द्वारा स्थल निरीक्षण करने के समय दलील की जाँच एवं भूमि की वास्तविक स्थिति देखकर भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया जाता है। (ख) indemnity bond लेकर भुगतान किया गया। (ग) भुगतान के पश्चात् मामला सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

आरोप सं0-16 का जवाब- (क) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1)(iii) के अनुसार स्थल निरीक्षण करने के समय दलील की जाँच एवं भूमि की वास्तविक स्थिति देखकर भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया। (ख) श्रीमती शिखा देवी द्वारा भुगतान के बाद आपत्ति की गयी, जिसे शपथ-पत्र के माध्यम से वापस ले लिया गया।

आरोप सं0-17 का जवाब- (क) स्थल निरीक्षण करने के समय दलील की जाँच एवं भूमि की वास्तविक स्थिति देखकर भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया जाता है। (ख) श्री भगवती अग्रवाल द्वारा कभी भी दावा पेश नहीं किया गया। (ग) अमीन/कानूनगो एवं मुझे ठीक से बंगला पढ़ना नहीं आता। अतः 21 के बदले 24 डि0 का भुगतान किया गया। (घ) अधिक भुगतान की जानकारी होते ही राशि वसूली की कार्रवाई की गयी। (ङ) Bihar Land Acquisition Manual की धारा-13(ए)(3) के तहत् अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली भू-लगान के बकाये के रूप में करने का प्रावधान है।

आरोप सं0-18 का जवाब- (क) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1)(iii) के अनुसार स्थल निरीक्षण करने के समय दलील की जाँच एवं भूमि की वास्तविक स्थिति देखकर भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन खतियान तैयार किया गया तथा पंचाट घोषित किया गया।

(ख) श्री संजय मंडल मंडल द्वारा भू-अर्जन कार्यालय, धनबाद में समर्पित सारे कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि सच्ची प्रतिलिपि के हर पन्ने में checked by, read by and compared by स्पष्ट लिखा हुआ है तथा निबंधन कार्यालय, पुरूलिया का गोल मोहर स्पष्ट दिख रहा है।

(ग) किसी भी रैयत की दावेदारी Limitation Act की धारा-65 के अनुसार 12 वर्ष बनती है। अतः दलील सं0-11026, दिनांक-29 दिसम्बर, 1938 के लिए किसी प्रकार की दावेदारी सन्1950-51 तक ही बनती थी।

आरोप सं0-19 का जवाब- (क) मुआवजा भुगतान के पूर्व तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अतः 15,529.06 रूपये का भुगतान किया गया। (ख) आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण भू-अनुसूची एवं मूल्यांकन पंजी में दर्ज कर भुगतान किया गया। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है कि अधिसूचना के पश्चात् के दस्तावेज पर भुगतान किया जा सकता है बशर्ते अधिसूचना तिथि का ही दर निर्धारण किया गया है।

आरोप सं0-21 का जवाब- (क) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मैं स्वयं था। अतः सुधार करने के लिए किसी वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। (ख) बिना दाखिल खारिज के कार्यान्वित दस्तावेज के

आधार पर रैयतों को मान्यता देने के संबंध में कहना है कि जिस दिन किसी भूमि का निबंधन क्रियान्वित होता है, उसी दिन से डीड धारक का हक-दखल व दावा बनता है। (AIR-1968 Gujrat)

पूरक आरोप का जवाब- (क) उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-3293, दि0-16 दिसम्बर, 2012 द्वारा आरोपी पदा0 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड में योगदान करने का आदेश दिया गया। (ख) उपायुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी पदा0 ने मा0 झारखण्ड उच्च न्यायालय में दि0-20 दिसम्बर, 2012 को रिट याचिका दायर की थी। (ग) उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-3293, दि0-16 दिसम्बर, 2012 के आधार पर उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4590, दि0-21 दिसम्बर, 2012 द्वारा आरोपी पदा0 की सेवा कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को वापस कर दी गयी थी। (ग) आरोपी पदा0 दिनांक-31 दिसम्बर, 2012 तक जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के रूप में कार्यरत थे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा आरोपी पदा0 की जगह किसी प्रतिस्थानी की पदस्थापना नहीं की गयी थी। दिनांक-31.12.2012 को आरोपी पदा0 की तबीयत खराब हो गयी और आरोपी पदा0 दिनांक-01 जनवरी, 2013 से 02 जनवरी, 2013 तक के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अवकाश पर गये। अग्रतर स्वास्थ्य जाँच कराये जाने की सूचना उपायुक्त, धनबाद को दिनांक-20. जनवरी, 2013 को CMC, Vellore से फैक्स से दी गयी। (घ) इस बीच आरोपी के रिट याचिका की सुनवाई दि0-15 जनवरी, 2013 को हुई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने आरोपी पदा0 द्वारा दायर Interlocutory Application को स्वीकार कर लिया था। (ङ) मा0 उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-29 जनवरी, 2013 को पारित न्यायादेश में आरोपी पदा0 को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गयी। (च) आरोपी पदा0 दिनांक-01 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2013 तक चिकित्सकीय अवकाश में थे तथा दि0 31 जनवरी, 2013 को उपायुक्त, धनबाद के समक्ष योगदान किया गया, जिसे उपायुक्त, धनबाद ने स्वीकार नहीं किया और न ही कोई लिखित सूचना दी, जिससे वे दि0-31 जनवरी, 2013 से 24 मई, 2013 तक प्रभार रहित रहे। (छ) दिनांक-24 मई, 2013 के पूर्वाह्न में आरोपी पदा0 द्वारा कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान किया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी पदा0 दिनांक- 24 मई, 2013 तक जिला भू-अर्जन पदा0, धनबाद के पद पर कार्यरत थे और इस परिस्थिति में उन्हें किसी भी तरह अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त श्री नायक ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवेदित 21 आरोप (जिनमें 3 में आरोप मुक्त किया गया है) इनके सेवानिवृत्ति के सिर्फ छः माह पूर्व लगाये गये हैं। इन्होंने धनबाद जिला में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की कार्यावधि में 43 मौजा का अधिग्रहण किया, जिसमें करीब 7 हजार पंचाट होगें तथा 25-30 हजार प्रभावित रैयत होगें। इनमें से मात्र 19 आरोप लगा है, जिसमें 50 प्रतिशत पेंशन कटौती का प्रस्ताव दिया गया है, जो पुनः विचारणीय है।

श्री नायक के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि भू-अर्जन की प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, तथापि पदाधिकारी स्तर से यह अपेक्षा है कि वे पर्याप्त पर्यवेक्षण रखें तथा यह भी ध्यान रहे कि गलत अभिलेखों के आधार पर मुआवजा भुगतान न हो। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के संबंध में जो मंतव्य दिये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2008 की अधिसूचना/अधिघोषणा का मान भी नहीं रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उसके बाद भी निबंधित विक्रय पत्रों की मान्यता दी गयी तथा वैधानिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मुआवजा का भुगतान किया गया। दान पत्रों के दस्तावेजों को भी मान्यता दी गयी। अतः आरोपित पदाधिकारी का यह कहना कि रैयतों से Indemnity bond भर कर लिया जाता है तथा इसे PD Act की धारा-13(3) B एवं 17 के अन्तर्गत वसूली हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि आदेश पारित करने में अनियमितता हुई है। आरोपित पदाधिकारी का यह कहना है कि मात्र 19 मामले में ही आरोप लगा है, अतः 50% पेंशन कटौती अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी परोक्ष रूप से मुआवजा भुगतान में गड़बड़ियों को स्वीकार करते हैं।

सभी तथ्यों पर विचार करते हुए श्री नायक के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् पेंशन से 50% की राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-10761, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-712, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः श्री लाल मोहन नायक, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) की राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 472—50 ।